

### प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

# WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2018, शनिवार/ अग्रहायण 11—अग्रहायण 17, 1940 No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 11—AGRAHAYANA 17, 1940

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

# गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

- सा. का. ति. 376—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर (लीडिंग फायरमैन, चालक आपरेटर और फायरमैन) भर्ती नियम, 1977 को जहां तक उनका संबंध चालक ऑपरेटर और फायरमैन, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, अग्नि और बचाव ऑपरेटर (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2017 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अग्नि और बचाव ऑपरेटर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:—
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** --(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर अग्नि और बचाव ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसुची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3.** भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6842 GI/2018 (1965)

- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-पद का नाम पद संख्या वर्गीकरण वेतन चयन या मैट्रिक्स में अचयन पद सीमा स्तर (1) (2) (3)(4) (5) (6) अग्निशमन और 13\* (2018) साधारण स्तर-2 चयन 18 से 27 वर्ष के बीच \*कार्यभार केन्द्रीय सेवा. (19900-(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या बचाव प्रचालक आधार 63200 रु.) आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 समृह वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) परिवर्तन किया अराजपत्रित, अननुसचिवीय। जा सकता है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। टिप्पण 2: कर्मचारी चयन आयोग की दशा में भर्ती नहीं होने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की अवधि,	<b>भर्ती की पद्धति</b> : भर्ती सीधी
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	वाले व्यक्तियों के लिए	यदि कोई हो	होगी या प्रोन्नति द्वारा या
	विहित आयु और शैक्षिक		प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा
	अर्हताएं प्रोन्नत		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
	व्यक्तियों की दशा में		जाने वाली रिक्तियों की
	लागू होंगी या नहीं		प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:-	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए	70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से		दो वर्ष (पदधारी	30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
12वीं कक्षा		चाहे सीधी भर्ती	
(ii) 12वीं कक्षा या समतुल्य किसी मान्यताप्रापत		द्वारा या पदोन्नति	
बोर्ड या समतुल्य से 10वीं कक्षा या समतुल्य और		द्वारा नियुक्त हो और	
मान्यताप्राप्त प्रौद्यागिकी प्रशिक्षण संस्थान से		चाहे स्थायीवत या	
किसी व्यवसाय में प्रमाणपत्र पाठयक्रम; या		अस्थायी हो उसने	
(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से		परिवीक्षा की अवधि	
10वीं कक्षा या समतुल्य और केन्द्रीय सरकार या		समाप्त होने के बाद	
राज्य सरकार के संस्थान से आधारिक अग्निशमन		पम्प ऑपरेटर और	
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।		बचाव कार्यों और	
(iv) भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग		सीड़ी में	
लायसेंस धारक हो।		फायरमैंनशिप की	

(v) <b>शारीरिक मानक:</b> ऊंचाई-165 सेमी. से	व्यावहारिक	
अन्यून (पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी.	विभागीय परीक्षा	
शिथिलनीय) सीना-81 सेमी. सामान्य, न्यूनतम	उत्तीर्ण की हो।	
फुलाव 5 सेमी., भार 50 किग्रा से अन्यून,		
श्रवणशक्ति-सामान्य, वाणी-सामान्य।		
निरर्हता: शारीरिक विकृति, लंबी बीमारी, रंग		
अंधता, भेंगापन, सपाट पैर, जुड़ी टांगें और		
परादर्शक त्रुटि को निरर्हता के रूप में माना		
जाएगा।		
क्षमता परीक्षा-		
(i) एक मिनट में 60 किग्रा वजन के साथ 90		
मीटर दूरी भागने में सक्षम हो।		
(ii) हाथ और पैरों का प्रयोग करते हुए भूमि से		
2.5 से 3 मीटर ऊंचाई तक रस्सी पर चढ़ने में		
सक्षम हो।		
चालन परीक्षण: भारी वाहन चलाने के लिए		
परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित चालन परीक्षण:		
वांछनीय:		
अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक		
को रखता हो तो उसे अधिमान्यता दी जाएगी:-		
(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक		
चिकित्सा प्रतिवादी या शहरी खोज और बचाव		
पाठ्यक्रम; या		
(ii) पूर्णकालिक अग्निशमन सेवा संगठन या		
राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में		
अग्निशमन या अध्यापन या प्रशिक्षण में अनुभव		
टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा अर्हित अभ्यर्थियों की		
दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम		
प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती		
ੈ है।		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित:- वेतन मेट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900) में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से क्लास रूप अटेंडेंट या मल्टी-टॉस्किंग स्टाफ के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा किया हो और स्तंभ (7) के अनुसार शारीरिक मानक हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :-  1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड -अध्यक्ष  2. अग्निशम सलाहकार या उप महानिदेशक (होमगार्ड) -सदस्य और  3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर -सदस्य	लागू नहीं होता।
कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी		

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर
ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के
लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

[फा. सं. I-12014/03/2017] सरेन्द्र ठाकर, अवर सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th November, 2018

- **G.S.R.** 376.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur (Leading Fireman, Driver Operator and Fireman) Recruitment Rules, 1977 in so far as they relate to the post of Driver Operator and Fireman and the Ministry of Home Affairs, National Fire Service College, Fire and Rescue Operator (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fire and Rescue Operator in the National Fire Service College, Nagpur, namely:—
- 1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Fire Service College, Nagpur, Fire and Rescue Operator (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fire and	13*	General	Level-2	Selection	Between 18 and 27 years.
Rescue	(2018).	Central	(₹ 19900-63200)		(relaxable for Government
Operator	*Subject to	Service, Group			servants upto 40 years in
	variation	'C', Non-			accordance with the instructions
	dependent	Gazetted, Non-			or orders issued by the Central
	on work	Ministerial			Government)
	load				Note 1 The crucial date for
					determining the age-limit shall

	be as fixed by the Staff Selection Commission.  Note 2 Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.
--	--

Educationa direct recr	al and other qualifications required for ruits	Whether age a educational qualifications prescribed direct recruits apply in the co of promotees	for will	riod of probation, if any
	(7)	(8)		(9)
Essential		No		o years for direct recruits. (The
(i)	12 <sup>th</sup> Class or equivalent from recognised			umbent whether appointed by direct
(1)	Board or equivalent; or			ruitment or by promotion and
(ii)	10 <sup>th</sup> Class or equivalent from recognised			ether permanent or quasi-permanent
()	Board or equivalent and certificate			temporary shall have to pass a
	course in any trade from a recognised			partmental test before the expiry of
	Industrial Training Institute; or			bation period in pump operation and
(iii)	10 <sup>th</sup> Class or equivalent from recognised		_	ctical fireman ship in ladder and
	Board or equivalent and basic fire		reso	cue work).
	fighting training course from Central			
	Government or State Government			
	institutes.			
(iv)	Possessing valid heavy vehicle driving			
	license.			
(v)	Physical standard:-Height: Not less than			
	165 cm (relaxable by 5cm. for hill area			
	candidates), Chest: 81 cm normal, minimum expansion 5 cm. Weight: Not			
	less than 50 kg, Hearing: Normal,			
	Speech: Normal.			
Disqualific	cation physical deformity, chronic			
	olour blindness, squint eyes, flat foot, bow			
	refractive error will be considered as			
disqualifica				
Endurance	e Test			
	be able to run a distance of 90 meters with			
a load of 60	0 kg in one minute.			
(ii)should b	be capable of climbing a rope to a height of			
2.5 to 3 me	eters from the ground by using hands and			
feet.				
	<b>Test</b> Driving test conducted by the			
	n board to drive heavy vehicle.			
Desirable				
Candidate				
	ons shall be given preference, namely:-  I Fist Aid Responder or Urban Search and			
	urse from a recognised Institute; or			
	ence in fire-fighting or teaching or training			
in a full tin				

Note The qualifications are relaxable at the
discretion of the Staff Selection Commission or
Competent Authority in the case of candidates
otherwise well qualified.

Method of recruitment whether by direct	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades
recruitment or by promotion or by	from which promotion or deputation or absorption to be made
deputation/absorption and percentage of	
vacancies to be filled by various methods	
(10)	(11)
70% by Promotion and 30% by direct	Promotion:-
recruitment.	Class Room Attendant or Multi-tasking staff of the National Fire Service
	College, Nagpur with three years' regular service in level 1 in the pay
	matrix (₹ 18000-56900/-) and Physical Standard as per Column (7).
	<b>Note</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already complete such qualifying or eligibility service.

	Circumstance in which
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Union Public Service
	Commission is to be
	consulted in making
	recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion or	Not applicable.
Confirmation) consisting of :-	
(1) Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard — Chairperson	
(2) Fire Adviser / Deputy Director General (Home Guard) - Member; and	
(3) Director, National Fire Service college, Nagpur - Member.	

[ F. No. I-12014/03/2017]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

# नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

- सा. का. नि. 377.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2014 को] जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी 'घ' पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में आशुलिपिक श्रेणी-'II' के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:.—
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर आशुलिपिक श्रेणी-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति.—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन या	सीधे भर्ती किए जाने	
			मैट्रिक्स में स्तर	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-।।	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500- 81100 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण1- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विहित की जाए।	1.िकसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2. कौशल परीक्षा मानक: (i) श्रुतलेखन: आशुलिपि

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा
के लिए विहित आयु और शैक्षिक		या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
लागू होंगी या नहीं		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती।
		टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी
		या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के
		अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर
		रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे
		अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा

सकेंगी, जो:-
(क) मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार
पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और
(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती होने वाले
व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं
और अनुभव रखते हों।
टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को
छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
	लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' स्थायी किए जाने के लिए विभागीय समिति (स्थायी किए जाने पर विचार करने	लागू नहीं होता।
के लिए) जिसमें निम्निलखित होंगे :-	
<ol> <li>महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड - अध्यक्ष</li> </ol>	
2. अग्नि सलाहकार, महानिदेशक अग्निशमन सेवा, नागरिक	
सुरक्षा और होमगार्ड कार्यालय - सदस्य	
3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर - सदस्य	

[फा. सं. I-12014/01/2018-सीडी] सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

### New Delhi, the 29th November, 2018

- G.S.R. 377.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur, Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade 'D', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade 'II' in the National Fire Service College, Nagpur, namely:.—
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Stenographer Grade-II (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,.—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

Name of the	Number of	Classification	Level in the	Whether	Age- limit for direct recruits
post	post		pay matrix	selection post or	
				non selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer	1* (2018)	General	Level- 4 in	Non-selection	Between 18 and 27 years of age
Grade-II.	*Subject	Central	the pay		(Relaxable for Government
	to	Service,	matrix		servants upto 40 years in
	variation	Group 'C',	₹25500-		accordance with the instructions or
	dependent	Non -	81100.		orders issued by the
	on work	Gazetted,			CentralGovernment).
	load.	Non-			Note.1. The crucial date for
		Ministerial.			determining the age limit shall be
					as specified by the Staff Selection
					Commission.

Educati	onal and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, If any
	(7)	(8)	(9)
Essenti	al Qualifications:-	Not applicable	Two years
1.	12 <sup>th</sup> Class pass from a recognised Board or University.		
2.	Skill Test Norms:		
	(i)Dictation: 10 Minutes @ 80 w.p.m. in shorthand.		
	(ii) Transcription:		
	65Minutes(English), 75 Minutes (Hindi) on Manual		
	Typewriter.		
	OR		
	50 Minutes (English),55 Minutes (Hindi) on Computer.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	7 1		
(10)	(11)		
Direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable		
Note 1 Vacancies caused by the incumbent being away on			
deputation or long illness or study leave or under other			
circumstances for a duration of one year or more may be filled			

by deputation basis from officers of Central Government:-

- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).
- **Note 2.-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

		Circumstance in which Union
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its co	omposition.	Public Service Commission is
		to be consulted in making
		recruitment.
(12)	(13)	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for c	Not applicable.	
consisting of :-		
(1) Director General Fire Service, Civil Defence and Home		
(2) Fire Adviser, Office of Director General Fire Service, Ci		
Defence and Home Guard		
(3) Director, National Fire Service college, Nagpur		

[ F. No. I-12014/01/2018-CD]

SURENDRA THAKUR, Under Secv.

# नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

- सा.का.नि. 378.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर (लीडिंग फायर मैन ड्राइवर ऑपरेटर और फायर मैन) भर्ती नियम, 1977 को, जहां तक उनका संबंध लीडिंग फायर मैन पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में लीडिंग फायर मैन के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:.—
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर लीडिंग फायरमैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता** वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन या	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने
			मैट्रिक्स में	अचयन	व्यक्तियों के लिए आयु-	वाले व्यक्तियों के
			स्तर	पद	सीमा	लिए अपेक्षित
						शैक्षिक और अन्य
						अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लीडिंग	2* (2018)	साधारण	स्तर-3	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
फायरमैन	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(21700-			
	आधार पर	समूह 'ग'	69100 रु.)			
	परिवर्तन किया	अराजपत्रित,				
	जा सकता है	अननुसचिवीय।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

**प्रोन्नति:-** राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के अग्निशमन और बचाव ऑपरेटर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर-2 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किन्छठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या नगर निगम में पूर्वकालिक परिचलन अग्निशमन सेवा के:-

- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर 2 में फायरमैन या फायर और रेस्क्यू आपरेटर के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो
- (ii) शारीरिक स्तर- कद -165 सेंटीमीटर से कम न हो (पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर शिथिल की जा सकती है)। सीना: 81 सेंटीमीटर सामान्य, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर के फुलाव सहित । वजन: 50 किलो से कम न हो । श्रवण शक्ति: सामान्य । भाषा: सामान्य और कमान के अंग्रेजी और हिंदी शब्दों को समझने में समर्थ होना चाहिए।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी किए जाने/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड - अध्यक्ष	117,161,6111
2. अग्निशमन सलाहकार उप महानिदेशक (होमगार्ड) - सदस्य; और	
3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर - सदस्य।	

[फा. सं. I-12014/02/2018] सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

### New Delhi, the 29th November, 2018

- **G.S.R. 378.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur (Leading Fireman, Driver Operator and Fireman) Recruitment Rules, 1977, in so far as it relate to the post of Leading Fireman except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Leading Fireman in the National Fire Service College, Nagpur, namely:-
- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Leading Fireman (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection or non selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Leading Fireman.	2* (2018).  *Subject to variation dependent on work load.	General Central Civil Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-3 (Rs.21700- 69100).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades recruitment or by promotion or by from which promotion or deputation or absorption to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods (10)(11)By promotion failing which by deputation **Promotion:** (including short-term-contract). Fire and Rescue Operator of the National Fire Service College, Nagpur with three years' regular service in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-) rendered after appointment thereto on regular basis. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already complete such qualifying or eligibility service. Deputation(including short-term-contract): From full time operational Fire Services in the Central Government or State Government or Union territories administration or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or Municipal Corporations: (a) (i)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as a Fireman or Fire and Rescue Operator in level-2, in the pay matrix (Rs.19900-63200).

- ((b) Possessing the following educational qualifications and experience :
- (i) 12<sup>th</sup> Class examination pass from recognised Board or University.
- (ii)Physical standard:-Height: Not less than 165 cm (relaxable by 5cm. for hill area candidates), Chest: 81 cm normal, minimum expansion 5 cm. Weight: Not less than 50 kg, Hearing: Normal, Speech: Normal and should be capable of follow English and Hindi words of command.
- **Note 1.** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note2.** The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central shall ordinarily not exceed three years.

**Note3.** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

		Circumstance	in	which
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			ıblic	Service
		Commission	is	to be
		consulted	in	making
		recruitment.		
(12)		(	(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering I	Promotion or	Not applicabl	e.	
Confirmation) consisting of :				
1. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard	<ul><li>Chairperson;</li></ul>			
2. Fire Adviser / Deputy Director General (Home Guard)	- Member; and			
3. Director, National Fire Service college, Nagpur	- Member.			

[ F. No. I-12014/02/2018]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

### (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

- सा.का.िन. 379.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, उप अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 2016, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड, महानिदेशालय में उप अग्निशमन सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अग्निशमन सेवा, सिविल रक्षा और होमगार्ड महानिदेशालय, उप अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 2018 है
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: .—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप अग्निशमन सलाहकार	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अननुसचिवीय,	स्तर-11 (67700- 208700 रु.)	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं  िटपण 1: (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्धीप	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन इंजीनियरी बैचलर डिग्नी (ii) अग्निशमन विभाग के किसी संगठन में अग्निशमन निवारण या अग्निशमन संरक्षण या आगे बुझाने या अग्निशमन प्रशिक्षण में चार वर्ष का अनुभव टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के

		के अभ्यर्थियों के	लिए	विवेकानुसार
		विहित की गई है।)		शिथिल की जा
		` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `		सकती है।
				टिप्पण 2: अनुभव
				संबंधी अर्हता
				(अर्हताएं) उन
				कारणों से, जो
				लेखबद्ध किए जाए,
				संघ लोक सेवा
				आयोग के
				विवेकानुसार
				अनुसूचित जातियों
				या अनुसूचित
				जनजातियों के
				अभ्यर्थियों की दशा
				में तब शिथिल की
				जा सकती है जब
				चयन के किसी प्रक्रम
				पर संघ लोक सेवा
				आयोग की यह राय
				हो कि उनके लिए
				आरक्षित रिक्तियों
				को भरने के लिए
				अपेक्षित अनुभव
				रखने वाले उन
				समुदायों के
				अभ्यर्थियों के पर्याप्त
				संख्या में उपलब्ध
				होने की सम्भावना
				नहीं है।
				` '

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए	सीधी भर्ती द्वारा
	जाने वाले	
	व्यक्तियों के	परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई
	लिए एक वर्ष।	रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा
		सकेगी:-
		(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए
		हुए हैं, या
		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग के वेतन मेट्रिक्स (56100-177500 रु.) में स्तर
		10 के पद पर नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष
		सेवा की हो,
		(ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं और
		अनुभव रखता हो;

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड्स जिनसे से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक			
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
(13)			
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना			
आवश्यक है।			
<del></del> <del></del>			

[फा. सं. I-12012/1/2018-एडी (सीडी)] सुरेन्द्र ठाकुर, अवर सचिव

### (Disaster Management Division)

New Delhi, the 29th November, 2018

- **G.S.R. 379.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Deputy Fire Advisor Recruitment Rules, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Fire Advisor in the Directorate General of Fire Services, Civil Defence and Home Guards in the Ministry of Home Affairs, namely: -
- 1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate General of Fire Services, Civil Defence and Home Guards, Deputy Fire Advisor Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualifications.**—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Fire Advisor	01* (2018)  *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
	Essential:  (i) Bachelor Degree in Fire Engineering from a recognised University or Institute.  (ii) Four years' experience in Fire prevention or Fire protection or Fire fighting or Fire training in the Fire Department of any organisation.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recording in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	One year for direct recruits

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable
<b>Note:</b> "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or	
long illness or study leave or under other circumstances for duration of	
one year or more may be filled on deputation basis from officers of	

Central Government.	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 10 of pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent, in the parent cadre or department; and	
(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group A Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is
Director General (Fire Service, Civil Defence and Home Guards) - Chairman;	necessary.
Joint Secretary (Disaster Management)     Ministry of Home Affairs     - Member;	
Inspector General, (National Disaster Response Force and Civil Defence)     - Member.	

[F. No. I-12012/1/2018-Ad(CD)]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

# (राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 380.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और वरिष्ठ अनुवादक के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और वरिष्ठ अनुवादक के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 है |
  - (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा- जो उक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता .— वह व्यक्ति, -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- **6. शिथिल करने की शक्ति** .— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.संयुक्त निदेशक	2*(दो)(2018)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	(स्तर-12 78800- 2,09,200 रु).	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा   50% प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोक्नित: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-2,08,700 रु.) में ऐसे उप निदेशक जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होने के पश्चात उस श्रेणी में पांच	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
वर्ष की सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।	(ii) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग   - सदस्य	

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या तीन वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो |

# प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं;

### अथवा

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11, (67700-208700 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : अर्थात:-

### आवश्यक:-

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

या

(iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि,

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली का प्रयोग/लागू करना(शब्दावलीय कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपर्येन, वरीय रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का दस वर्ष का अनुभव।

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान (शोध) का दस वर्ष का अनुभव।

### वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक(दसवीं) स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो:

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेत् विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे |

इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.उप निदेशक	2*(दो)(2018)	साधारण केंद्रीय	(स्तर-11	चयन पद	लागू नहीं होता
	*(कार्यभार के	सेवा, समूह 'क',	67,700-		
	आधार पर परिवर्तन	राजपत्रित,	2,08,700 रु).		
	किया जा सकता है)	अननुसचिवीय			

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोम्नतिः  वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56,100-1,77,500 रु.) में ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हों।  टिप्पणः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या तीन वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  (i) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - अध्यक्ष  (ii) निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय - सदस्य  (iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य	(13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 सहायक निदेशक	39*(उनतालिस)	साधारण केंद्रीय	(स्तर-10	चयन	लागू नहीं होता
	(2018) *(कार्यभार के आधार पर	सेवा, समूह 'क', राजपत्रित,	56,100- 1,77,500 रु).		
	परिवर्तन किया जा सकता है)	अननुसचिवीय			

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	66.67% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 33.33% प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह "क"	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित	   करना आवश्यक है
रु.) में ऐसे वरिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति होने के	होंगे :-	
पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की	(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग   - अध्यक्ष	
हों और विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4	(ii) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - सदस्य	
सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया हों।	(iii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य	

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

# प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं

या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-7, (44900-142400 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो, और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :

### आवश्यक:-

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि,

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि.

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के आलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के आलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

# (पृष्टि पर विचार करने के लिए) समूह 'क' विभागीय पृष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- (i) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग अध्यक्ष
- (ii) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो -सदस्य
- (iii) निदेशक, राजभाषा विभाग सदस्य

स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दुसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि,

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली प्रयोग/लागृ करना (शब्दावलीयों कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपर्येण, वरीय रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान(शोध) का तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय:- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्टिक(10वीं) स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान के आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अघ्ययन किया हों।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में है, प्रतिनियक्ति पर नियक्ति हेत् विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे |

इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियक्ति हेत विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे |

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वरिष्ठ अनुवादक	53*(तिरपन) (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष

(1) 4. वरिष्ठ अनुवादक	(2) 53*(तिरपन) (2018) *कार्यभार	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित.	(4) स्तर-7 (44,900- 1.42.400 रुपए)	(5) लागू नहीं होता	(6) 30 वर्ष से अधिक नहीं। <b>टिप्पण 1:</b> केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए
	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1,42,400 रुपए)		सरकार द्वारा जारा किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष

		तक शिथिल की जा
		सकती है ।
		<b>टिप्पण2</b> : आयु-सीमा
		अवधारित करने के लिए
		निर्णायक तारीख भारत
		में अभ्यर्थियों से आवेदन
		प्राप्त करने के लिए
		नियत की गई अंतिम
		तारीख होगी । (न कि
		वह अंतिम तारीख जो
		असम मेघालय,
		अरूणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर,
		नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्कम, जम्मू-कश्मीर
		राज्य के लद्दाख खंड
		हिमाचल प्रदेश के
		लाहोल स्पीति जिले
		तथा चम्बा-जिले के
		पांगी उपखंड, अंदमान
		और निकोबार द्वीप या
		लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
		के लिए विहित की गई
		है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से			<b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण
स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक			पर दूर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन
विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में			छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थियों के अधीन एक वर्ष
अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि,			या अधिक की अवधि के लिए कारित रिक्तियों
या			केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक			प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी
स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या			जिन्होंने:
परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ			(क) (i)  मूल काडर या विभाग में:-
अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि,			नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किया हुआ
या			है: और
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक			(ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती होने
स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या			वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और
परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ			अनुभव धारण कर रहे हों ।
हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में			
हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,			
या			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक			
स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या			
परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ			
हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में			
अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,			
अथवा			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक			

स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के		
रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से		
कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा		
अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय के रूप में हों,		
के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी		
विषय में मास्टर की उपाधि और,		
हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपर्येण अनुवाद में		
मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र		
पाठ्यक्रम या केंद्रीय या भारत सरकार के		
उपक्रमों सहित राज्य सरकार के कार्यालय में		
हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपर्येणय अनुवाद		
कार्य का तीन वर्ष का अनुभव ।		
टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित		
अभ्यार्थियों की दशा में वहां उसके लिए जो		
कारण है उनका लेखबद्ध करके कर्मचारी		
चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के		
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं		
टिप्पणी 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)		
कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी		
के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं		
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या		
अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की		
दशा में वहां उसके लिए जो कारण है उनका		
लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है		
(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी		
चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह		
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को		
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले		
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या		
में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है		

(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह '	संघ लोक सेवा आयोग से	
	प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		परामर्श करना आवश्यक नहीं है
	(i) निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो	- अध्यक्ष	()
	(ii) संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो	- सदस्य	
	(iii) राजभाषा विभाग के बाहर के		
	किसी भी मंत्रालय/विभाग का अवर सचिव	- सदस्य	

[फा. सं. 13011/19/2009-ओ एल(सी टी बी)] राजू लाल मीणा, अवर सचिव

### (Department of Official Language)

New Delhi, the 3rd December, 2018

- G.S.R. 380.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Translation Bureau, (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the posts of Joint Director, Deputy Director, Assistant Director and Senior Translator Ministry of Home Affairs except as in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Director, Deputy Director, Assistant Director and Senior Translator in the Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Translation Bureau Group 'A' and Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2018.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and pay level in the pay matrix The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- **5. Disqualification.**—No person,-
  - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
  - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name of post	Number of	Classification	Pay Band and	Whether	Age limit for direct
	post		Grade Pay or	selection post or	recruits
			Pay Scale	non-selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Joint Director.	02(Two) *	General Central	Level-12	Selection	N.A.
	(2018)	Services Group 'A'			
	*(Subject to	Gazetted Non-			
	variation	ministerial.			
	depending				
	on				
	workload)				

Educational and other qualifications	Whether age and	Period of probation,	Method of recruitment, whether
required for direct recruits	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	N.A.	N.A.	50 % by promotion failing which by deputation. 50% by deputation.

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director in pay Level -11 in the pay matrix (Rs. 67700-2,08, 700) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the department.  NoteWhere Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or three years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.  Deputation: Officers from the Central /State Government/Union Territories:  (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR  (ii) With five year's service in the grade after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Level-11 of the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700/-) or equivalent in the parent cadre/department; and  (b) Possessing the following educational qualifications and experience namely:-  Essential:  (i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level,	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):  (i) Chairman/ Member, Union Public Service Commission: Chairman, (ii) Joint Secretary, Dept. of Official Language: Member (iii) Director, Central Translation Bureau: Member.	recruitment
Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,		

#### OR

Master's Degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,

#### OR

Master's Degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level;

#### OR

Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;

(ii) Ten years' experience of using/ applying terminology. (Terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or *vice-versa* preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/Public Sector Undertakings/Universities or recognized Research or Educational Institutions.

#### OR

Ten years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/Public Sector Undertakings / Universities or recognized Research or Educational Institutions.

### Desirable:

Study of one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at  $10^{\rm th}$  level from a recognized Board.

**Note 1:** The Departmental Officers in the feeder categories who are in the direct line of the promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy	2 (Two) *	General Central	Level-11	Selection	N.A.
Director.	(2018)	Services Group 'A'	(Rs. 677002-2,		
	*(Subject to	Gazetted	08,700)		
	variation	Non-Ministerial.			
	depending on				
	workload).				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	N.A.	N.A.	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Director in Level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1, 77,500) with Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed 2 to 4 weeks training as prescribed by the department.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  (i) Joint Secretary Deptt. of Official Language: Chairman.  (ii) Director, Deptt. of Official Language, MHA: Member.  (iii) Director, Central Translation Bureau:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Note—Where Juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or three years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Member.	

(1)	(2)			(3)			(4)	(5)	(6)
3. Assistant	39	(Thirty	General	Cei	ntral	Level-	10	Selection.	N.A.
Director.	nine)*		Services	Group	'A'	(Rs.	56,100-		
	(2018)		Gazetted	_		177500	0)		
	*(Subject	to	Non-Min	isterial.					
	variation								
	depending	g on							
	workload)								

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	N.A.	One year for promotees.	66.67% by promotion failing which by deputation
			and 33.33% by deputation.

(11)	(12)	(13)	
<b>Promotion:</b> Senior Translator in pay level-7 in the pay matrix (44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment	Group 'A' Departmental Promotion  Committee (for considering promotion) consisting of :	Consultation with Union Public Service Commission necessary.	

thereto on regular basis and have successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the department.

Note. Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who already completed such qualifying/eligibility service.

# **Deputation:**

Officers under the Central Government/State Government/ Union Territories:

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;

### OR

- (ii) With three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level -7 of the pay matrix Rs 44,900-1,42,400/- or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b)Possessing the following educational qualifications and experience.

### **Essential:**

(i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level,

### OR

Master's Degree from a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level,

### OR

Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level,

- (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission: Chairman,
- (ii) Joint Secretary, Deptt. of Official Language : Member.
- (iii)Director, Central Translation Bureau: Member.

# Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:

- (i) Joint Secretary, Deptt. of Official Language- Chairman.
- (ii) Director, Central Translation Bureau: Member.
- (iii) Director, Deptt. of Official Language: Member.

OR

Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level,

#### OR

Master's Degree from a recognized university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level,

(ii) Three year's experience of using/applying terminology (Terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or *vice-versa* preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/Autonomous

Bodies/Statutory Organizations/ Public Sector Undertakings / Universities or recognized Research or Educational Institutions.

### OR

Three year's experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/Autonomous

Bodies/Statutory Organizations/ Public Sector Undertakings/ Universities or recognized Research or Educational Institutions.

# Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at 10<sup>th</sup> level from a recognized board.

**Note 1:** The Departmental Officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the

Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Notes: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.Senior Translator	53 (Fifty three)* (2018) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Services Group 'B' Non-Gazetted Non- Ministerial	Level-7	N.A.	Not exceeding 30 years.  Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  Note 2: The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andman & Nicobar Island or Lakshadweep.)

(7)	(8)	(9)	(10)	
Essential:	N.A.	02 years	By direct recruitment.	
(i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.  OR  Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a			Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from Officers	

compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

#### OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

### OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

#### OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level .AND

Recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English or *vice versa* or three year's experience of translation work from Hindi to English or *vice versa* in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking.

**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority for regions to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2:The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes for regions to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities/ possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

- of Central Government:
- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department;

#### And

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col.7

(11)	(12)		(13)	
Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:		Consultation with Union Public Service Commission	
	1. Director, Central Translation Bureau	: Chairman	not Necessary	
	2 Joint Director, Central Translation Bureau	: Member		
	3. Under Secretary, any Ministry/Department outside Deptt. of Official Language : Member			

[F. No. 13011/19/2009-OL(CTB)] RAJU LAL MEENA, Under Secy.

### वित्त मंत्रालय

# (आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

- सा. का. नि. 381.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप निदेशक (बजट और लेखा) भर्ती नियम, 2006 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने हेतु लोप किया गया है, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप निदेशक (बजट और लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, उप निदेशक (बजट और लेखा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (2) पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- (3) भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.- उक्त पद की भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- (4) **निरर्हता -** वह व्यक्ति,-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह या अनुबंध किया है, या;
  - (ख) जिसने, अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग या व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (बजट और लेखा)	04* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	लेवल-11	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित क्या यह सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे प्रवर्ग जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पुनर्नियुक्त अधिकारियों हेतु सेवानिवृत्ति से पूर्व दो वर्ष	(i) 25% पदोन्नति, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति। (ii) 75% प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सशस्त्र बल कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति	पदोन्नितः- अनुभाग अधिकारी (बाह्य) ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में।  टिप्पणः जहां किनष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी पदोन्नित पर विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नित पर भी विचार किया जाएगा बशतें उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा की आधे से अधिक अविध अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने किनष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने योग्यता अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, के साथ ही अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नित हेतु अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।  प्रतिनियुक्ति/आमेलनः- केंद्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारियों में से:-  (क)(i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  (iii) पे मैट्रिक्स के लेवल 10 अथवा लेवल 9 अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदत्त ग्रेड में 5 वर्षीय सेवा अथवा  (iii) पे मैट्रिक्स के लेवल 8 अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य में

	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदत्त ग्रेड में 6 वर्षीय सेवा; और
	(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव, नामतः-
	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री; और
	(ii) किसी विभाग के वित्त अथवा बजट अथवा लेखा प्रभाग में पांच वर्ष का अनुभव
	सशस्त्र सेना कार्मिक का पुनर्नियोजनः-
	सशस्त्र सेना कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है अथवा जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जिनके पास वांछित अनुभव और निर्धारित योग्यता है, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति शर्तें दी जाएंगी जिस तिथि पर वे सशस्त्र बलों से रिलीज किया जाएगा; उसके बाद उन्हें पुनः नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।
	<b>टिप्पण 1</b> . केवल केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी आमेलन हेतु पात्र हैं।
	टिप्पण 2. फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी पदोन्नति हेतु पात्रता है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से प्रतिनियुक्ति वाले पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
	टिप्पण 3. केंद्र सरकार के समान अथवा अन्य कोई संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विभागीय प्रोन्नति समिति यदि कोई है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से
	परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में	पद पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से
निम्न सदस्य होंगेः	परामर्श आवश्यक हैं।
(i) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	
(ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग — सदस्य	
(iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), वित्तीय सेवाएं विभाग - सदस्य	
समूह 'क' विभागीय सेवा - स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के	
विचारार्थ) में निम्न सदस्य होंगेः	
(i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष	
(ii) निदेशक अथवा उप सचिव (बजट प्रभाग), आर्थिक कार्य	
विभाग – सदस्य	
(iii) निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य	

[फा.सं. ए-12011/08/2017-प्रशा.।ए]

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 3rd December, 2018

- **G.S.R.** 381.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, **Deputy Director** (**Budget and Accounts**) Recruitment Rules, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Deputy Director** (**Budget and Accounts**) in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, namely:
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, **Deputy Director (Budget and Accounts)** Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix. The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications. No person;
  - a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provide that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Budget and Accounts)	4* (2018) * (Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level-11	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed officers before the age of superannuation and promotee.	<ul><li>(i) 25% Promotion failing which deputation</li><li>(ii) 75% Deputation/Absorption/Re-employment of Armed Forces Personnel.</li></ul>

	and promotee.	
In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Department Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:- Section Officers (Excluded) in the Level 8 of Pay Matrix with six years regular service in the Grade.	Group 'A', Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of:	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.
Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed with qualifying or eligibility service	<ul> <li>(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman</li> <li>(ii) Joint Secretary (Administration), Department of Economic Affairs - Member</li> <li>(iii) Joint Secretary (Administration), Department of Financial Services - Member</li> </ul>	on each occasion.
Deputation/Absorption:- From amongst officers under the Central or State Government/Union Territories:-  (a)	Group 'A' of Departmental Confirmation Committee ( for considering confirmation) consisting of :	
<ul> <li>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or</li> <li>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 or Level 9 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; or</li> <li>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis</li> </ul>	<ul> <li>(i) Joint Secretary (Administration), Department of Economic Affairs- Chairman</li> <li>(ii) Director or Deputy Secretary (Budget Division), Department of Economic Affairs- Member</li> <li>(iii) Director/Deputy Secretary (Administration), Department of</li> </ul>	
in Level-8 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; and  (b) possessing the following Educational qualification and experience, namely:-	Economic Affairs- Member.	

- (i) Bachelors degree from a recognized University or Institution; and
- (ii) five years' experience in Finance or Budgeting or Accounts Division of any Department.

#### Re-employment of Armed Forces Personnel:-

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on reemployment.

- **Note 1-** Central or State Government employees are only eligible for absorption.
- **Note 2-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 3- Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

[ F. No. A-12011/08/2017-Ad.IA ] SANJEEV GUPTA, Under Secy.

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सा.का.िन.382.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सचिवालय प्रिशिक्षण और प्रंबध संस्थान (प्रशिक्षण उपस्कर प्रचालक) भर्ती नियम,1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण उपस्कर प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, प्रशिक्षण उपस्कर प्रचालक समूह 'ग', अराजपात्रित पद भर्ती नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि**.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अधिसूचना

		T		1	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के
			स्तर	है अथवा	लिए आयु-सीमा
				अचयन पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशिक्षण	* 01	साधारण	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच
उपस्कर	(2018)	केन्द्रीय सेवा,	(29200-	होता।	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर
प्रचालक	*कार्यभार के	समूह'ग',	92300/-रू)		जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के
	। आधार पर	अराजपत्रित,	में स्तर-5		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस
	परिवर्तन किया	,			वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
	जा सकता है।				<b>टिप्पण</b> :- आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
					गई अंतिम तारिख होगी।(न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और
					स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी
					उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की
					गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं		भर्ती की पद्दति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित्त द्वारा या प्रतिनियुक्ति और विभिन्न द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा।
12वीं कक्षा उत्तीर्ण या			टिप्पण:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति
समतुल्य;			पर स्थानातंरण या लंबी बीमारी या

2. जिसके पास किसी सरकारी		अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य
मान्यताप्राप्त संस्थान से सोलह		परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या
एम.एम फिल्म प्रक्षेषण या		इससे अधिक अवधि के कारण हुई
वी.सी.आर॰, टी.वी॰ और अन्य		रिक्ति को केन्द्रीय सरकार/पब्लिक
उपस्कर के प्रहस्तन और		सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायो
अनुरक्षण का प्रमाण-पत्र हो।		के ऐसे अधिकारियों में से
<ul><li>अनुरक्षण का प्रमाण-पत्र हो।</li><li>अव्य दृश्य उपस्करों जिनके</li></ul>		प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा
अंतर्गत कैमरा या वीडियो		सकेंगी जिसके पास निम्नलिखित
रिकार्डिंग भी है, के प्रहस्तन का		अर्हताए है अर्थात:-
दो वर्ष का अनुभव हो।		(i) (क) जो मूल कार्डर या विभाग में
टिप्पण:- अर्हताएँ और अनुभव		** * * *
` ,		नियमित आधार पर सदृश पद
सक्षम प्राधिकारी के		धारण किए हुए है;
विवेकानुसार शिथिल की जा		(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स
सकती है।		(25500-81100/- रू) के स्तर-4 के
		वेतन में उस पद पर पाँच वर्ष की
		नियमित सेवा की हो; और
		(ii) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन
		सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ
		हों।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे		परिस्थतियों में संघ लोक
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		सेवा आयोग से परामर्श
जाएगा		किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नही होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	लागू नही होता।
	जिसमें निम्नलिखित होगें:-	
	(1) अपर निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण और	
	प्रबंध संस्थान - अध्यक्ष	
	(2) उपनिदेशक (प्रशासन), सचिवालय प्रशिक्षण	
	और प्रबंध संस्थान - सदस्य	
	(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के	
	कार्यालय से एक अधिकारी - सदस्य	
	(4) अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशिक्षण और	
	प्रबंध संस्थान - सदस्य	

[फा.सं. ए-12034/15/2016-आई एस टी एम]

सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

## (Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 30th November, 2018

G.S.R.382.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Training Equipment Operator Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Equipment Operator in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Institute of Secretariat Training and Management, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Institute of Secretariat Training and Management, Training Equipment Operator, Group 'C' Non-Gazetted Post Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification**. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Training Equipment Operator.	01 (2018)* * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group C, Non – Gazetted, Non- Ministerial.	Level 5 in the pay matrix  (Rs.29200 - 92300/-)	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam,  Meghalaya,  Arunachal Pradesh,  Mizoram,

		Manipur,
		Nagaland,
		Tripura, Sikkim,
		Ladakh Division
		of Jammu and
		Kashmir State,
		Lahaul and Spiti
		district and Pangi
		Sub-Division of
		Chamba district
		of Himachal
		Pradesh,
		Andaman and
		Nicobar Islands
		and
		Lakshadweep

Educational and other qualifications required for direct recruits.    Period of probation if any.   Period of probation in any in transfer on by direct recruits will apply in the case of promotion or by department.   Period of promotion or by carculation.   Period of promotion or by carculation.			r =	Tarana a sana
direct recruits.    prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.   promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.			Period of probation if any.	
recruits will apply in the case of promotees.  (8) (9) (10)  (1) 12 <sup>m</sup> class pass or equivalent from a recognised board;  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  (3) two years experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (4) Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.				II
case of promotees.    Case of promotees   Case	direct rectuits.	l *		1
(7) (8) (9) (10)  (1) 12th class pass or equivalent from a recognised board;  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  (3) two years experience in handling audiovisual equipment and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (4) Note: Vacancy caused by the incumbent being away in transfer on deputation or long illness or study leave or under other or under other or under other or under other or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely: -  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				
(7) (8) (9) (10)  (1) 12th class pass or equivalent from a recognised board;  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment or video recording.  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Vacancy caused by the incumbent being away in transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.		case of promotees.		
(1) 12th class pass or equivalent from a recognised board;  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Vacancy caused by the incumbent being away in transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (8) two pears experience are relaxable at the discretion of the competent authority.				1
(1) 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised board;  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and institute; and institute; and handling audiovisual equipment including camera or video recording.  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  Note a pair pass or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/ Public Sector Undertakings or Autonomoous bodies and having the following qualifications namely:  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	(7)	(8)	(9)	
equivalent from a recognised board;  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Vacancy caused by the incumbent being away in transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				( - /
recognised board;  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (1) Certificate for handling away in transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:-  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	` '	- con approximation	,	
(2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (3) In transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:-  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				
(2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and maintenance in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (2) Certificate for handling and maintenance of a 16 mm film duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				
handling and maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (3) two prescribed for direct recognised in the passes in the qualifications prescribed for direct recognised.  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  (3) two prescribed for direct recruits under column	(2) Certificate for			
maintenance of a 16 mm film projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  (3) two Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (3) two pears experience in the province of the competent authority.  (4) circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:  (5) (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500-81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	handling and			
projector or VCR, TV and other equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  more may be filled up on deputation basis from officers of Central Government/Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:- (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	maintenance of a			circumstances for a
TV and other equipment from a Government recognised institute; and says and having the following qualifications namely:  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (i) eputation basis from officers of Central Government/Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	16 mm film			duration of one year or
equipment from a Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (i) officers of Central Government/Public Sector Undertakings or Autonomous bodies and having the following qualifications namely:-  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	projector or VCR,			more may be filled up on
Government recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  (5) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	TV and other			deputation basis from
recognised institute; and  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	equipment from a			officers of Central
institute; and  Autonomous bodies and having the following qualifications namely:-  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  Autonomous bodies and having the following qualifications and posts on regular basis in the parent cadre or department; (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				Government/ Public Sector
(3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.    having the following qualifications namely:- (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	_			_
(3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (3) two years experience in handling audiovisual equipment basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	institute; and			
(3) two years experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				
experience in handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (i) (a) noteding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	(2) two years			
handling audiovisual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	` '			
visual equipment including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	-			
including camera or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	e e			1
or video recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (b) with five year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				*****
recording.  Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  (ii) With Tive year's regular service in the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and (iii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	· ·			
Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  The discretion and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  The discretion and the post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  The post with pay in Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-);				
Note: Qualification and experience are relaxable at the discretion of the competent authority.  Level-4 of pay matrix (Rs. 25500 - 81100/-); and  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	literating.			
experience are relaxable at the discretion of the competent authority.    A competent authority   Competent au	Note: Oualification and			
the discretion of the competent authority.  81100/-); and (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				1 7
competent authority.  (ii) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column				`
qualifications prescribed for direct recruits under column	competent authority.			
prescribed for direct recruits under column				
recruits under column				
				*
				(7).

In the case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation, transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exits what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable.
	<ol> <li>(1) Additional Director, Institute of Secretariat Training and Management – Chairman;</li> <li>(2) Deputy Director (Administration), Institute of Secretariat Training and Management – Member;</li> <li>(3) An Officer from the office of Commissioner for scheduled Castes/ Scheduled Tribes - Member;</li> <li>(4) Section Officer, Institute of Secretariat Training and Management – Member.</li> </ol>	

[F.No. A-12034/15/2016-ISTM]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

## नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

- सा.का.िन. 383.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रंबध संस्थान (बहुकार्य कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. संक्रिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, (बहुकार्य कर्मचारीवृन्द) समूह 'ग', अराजपात्रित पद भर्ती नियम,2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता .— वह व्यक्ति—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसुची

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  बहुकार्य कर्मचारीवृन्द *27 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  स्तर-1 (18000- 56900/-रु.)  केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय  किया जा सकता है।  होता  किए आयु-सीमा (18000- 56900/-रु.)  होता  किए नाप्त नहीं होता  किए नाप्त नहीं होता  किए नाप्त समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीम वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  िटप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयक आयोग द्वारा			अनुसूच।			
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  बहुकार्य कर्मचारीवृन्द * 27 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  अराजपात्रित, अननुसचिवीय  (18000- 56900/-रु.)  (	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण		,	सीधे भर्ती किए
बहुकार्य कर्मचारीवृन्द  * 27 (2018)  *कार्यभार के अन्द्रीय सेवा, समूह'ग', अराजपात्रित, अननुसचिवीय  सकता है।  * 27 (2018)  *कार्यभार के अराजपात्रित, अननुसचिवीय  समूह'ग', अराजपात्रित, अननुसचिवीय  समूह'ग', अराजपात्रित, अननुसचिवीय  सकता है।  * 27 (18000- होता होता (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशो के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  िटपण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा				707		के लिए आयु-सीमा
(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  केन्द्रीय सेवा, समूह'ग', अराजपात्रित, अननुसचिवीय  (18000- 56900/-रु.)  होता होता होता होता होता होता होता होत	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जाएगी।	बहुकार्य कर्मचारीवृन्द	(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	केन्द्रीय सेवा, समूह'ग', अराजपात्रित,	(18000-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।  टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की

सीधे भर्ती किए जाने वाले		परिवीक्षा की अवधि यदि कोई	
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	हो	होगी या प्रोन्नत्ति द्वारा या
शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत		प्रतिनियुक्ति और विभिन्न
	व्यक्तियों की दशा में लागू होगी		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
10वीं कक्षा उत्तीर्ण या			
समतुल्य।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन		परिस्थतियों में संघ लोक
किया जाएगा		सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नही होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में	लागू नहीं होता।
	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें:-	
	1. उप निदेशक (प्रशासन) सचिवालय प्रशिक्षण और	
	प्रबंध संस्थान - अध्यक्ष	
	2. अवर सचिव, प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण	

विभाग	- सदस्य
3. उपनिदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण और प्र	बंध
संस्थान	- सदस्य
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से	संबंधित
कोई अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी की पं	क्ति से नीचे
का न हो	- सदस्य
5. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशिक्षण	और प्रबंध
संस्थान	- सदस्य

[फा.सं. ए-12034/13/2016-आई एस टी एम] सैयद इमरान अहमद, अवर सचिव

#### New Delhi, the 30th November, 2018

**G.S.R.** . 383.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Institute of Secretariat Training and Management, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, namely:-

#### 1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Institute of Secretariat Training and Management (Multi Tasking Staff), Group 'C', Non-Gazetted Posts Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.** No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay	Whether	Age-limit for
1	•		matrix	selection post	direct recruits
				or non-	
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking	*27	General Central	Level 1	Not applicable.	Between 18 and
Staff.	(2018)	Service, Group	(Rs.18000 – 56900/-)		27 years of age.
	* Subject to	'C' Non-			(Relaxable for
	variation	Gazetted, Non-			Government
	dependent on	Ministerial			servants up to age
	workload.				of forty years in
					accordance with
					the instructions or
					orders issued by
					the Central
					Government from
					time to time).
					<b>N</b> T ( <b>F</b> T)
					Note: The crucial
					date for
					determining the
					age-limit shall be
					as fixed by the
					Staff Selection
					Commission.

Educational and other	Whether age and	Period of probation, if any	Method of recruitment:
qualifications required for direct	educational		whether by direct
recruits	qualifications		recruitment or by
	prescribed for		promotion or by
	direct recruits will		deputation or absorption
	apply in the case of		and percentage of the
	promotees		vacancies to be filled by
			various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
10 <sup>th</sup> pass or equivalent from a	Not applicable	Two years	By direct recruitment
recognised Board			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-  (1) Deputy Director(Administration), Institute of Secretariat Training and Management -Chairman  (2) Under Secretary, Training Division, Department of Personnel and Training -Member  (3) Deputy Director, Institute of Secretariat Training and Management -Member	Not applicable

(4) An officer not below the rank of Section Officer belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes -Member	
(5) Section Officer, Institute of Secretariat Training and Management - Member	

[ F. No. A-12034/13/2016-ISTM]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

## नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

- **सा.का.िन. 384**.—केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तितयों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय सूचना आयोग, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2011 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचूना आयोग, कर्मचारी वृन्द कार चालक (विशेष श्रेणी), (श्रेणी-□), (क्षेणी-□), (साधारण श्रेणी) समृह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पर्दों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसुची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद या	सीधे भर्ती किए
			स्तर	अचयन पद	जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कर्मचारीवृन्द	01*	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स	अचयन	लागू नहीं होता
कार चालक	(2018)	सेवा, समूह 'ख',	(35400-112400		
(विशेष श्रेणी)	* कार्यभार के	अराजपत्रित,	रु.) में स्तर 6		
	आधार पर परिवर्तन	अननुसचिवीय			
	किया जा सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
या प्राचानपुरस्य आमलन क्या आर्या		जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्निति:- वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर 5 ऐसे कर्मचारी वृन्द कार चालक क्षेणी-। जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :-  1. अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष  2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य  3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य  2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :-  1. अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
	<ul> <li>2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कर्मचारीवृन्द	04*	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स	अचयन	लागू नहीं होता
कार चालक श्रेणी-1	(2018)	समूह 'ग', अराजपत्रित,	(29200-92300		
	*कार्यभार के आधार	अननुसचिवीय	रु.) में स्तर 5		
	पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
	1. संयुक्त सचिव (प्रशा.),	लागू नहीं होता।

में पन्द्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा के साथ;	केंद्रीय सूचना आयोग	– अध्यक्ष
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण पास किया हो।	2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग	- सदस्य
	3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग	– सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कर्मचारीवृन्द	04*	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स	अचयन	लागू नहीं होता
कार चालक समूह-	(2018)	समूह 'ग', अराजपत्रित,	(25500-81100		
II	* कार्यभार के	अननुसचिवीय	रु.) में स्तर 4		
	आधार पर	-			
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
रू.) में स्तर 2 ऐसे कर्मचारीवृन्द कार	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और	1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय सूचना आयोग 🕒 अध्यक्ष	
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण पास किया है।	2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य	
	3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कर्मचारीवृन्द	04*	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के
कार चालक	(2018)	समूह 'ग', अराजपत्रित,	(19900-63200 रु.)		बीच
(साधारण श्रेणी)	* कार्यभार के	अनुसचिवीय	में स्तर 2		(केंद्रीय सरकार
	आधार पर				द्वारा जारी किए
	परिवर्तन किया जा				गए अनुदेशों या
	सकता है।				आदेशों के अनुसार
					सरकारी सेवकों के
					लिए 40 वर्ष तक
					शिथिल की जा
					सकती है।)
					टिप्पणी :- आयु-
					सीमा अवधारित
					करने के लिए
					निर्णायक तारीख
					भारत में
					अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की
					गई अंतिम तारीख
					होगी । (न कि वह
					अंतिम तारीख जो

		असम, मेघालय,
		अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर,
		नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, जम्मू-
		कश्मीर राज्य के
		लद्दाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के
		लाहोल और स्पीति
		जिले तथा चम्बा-
		जिले के पांगी
		उपखंड, अंडमान
		और निकोबार द्वीप
		या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है )
		<b>टिप्पण</b> :- यदि
		'सीधी भर्ती' 'सीधी
		खुली प्रतियोगिता
		परीक्षा' द्वारा की
		जाएगी तो आयु
		सीमा 18 - 27 वर्ष
		के बीच हो सकती
		है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :-	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती या पुन:नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
(i) मोटर कार के चलाने के		किए जाने वाले व्यक्तियों के	जिसके न हो पाने पर सीधी
लिए विधिमान्य चालन		लिए दो वर्ष	भती द्वारा
अनुज्ञप्ति रखता हो;			सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए:
(ii) मोटर यान की यंत्र क्रिया			प्रतिनियुक्त या पुन:नियोजन
े का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में			
छोटी-मोटी खराबियों को			
दूर करने में समर्थ होना			
चाहिए);			
(iii) मोटर कार के चालन का			
कम से कम तीन वर्ष का			
अनुभव; और			
(iv) दसवीं स्तर पास			
वांछनीय :-			
होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक			
के रूप में तीन वर्ष का अनुभव			
टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा			
सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
सक्षम प्राधिकारी के			
विवेकानुसार शिथिल की जा			
सकती है।			
टिप्पण 2 - अनुसूचित जातियों			
और अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में, जब			
चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम			
प्राधिकारी की यह राय है कि			

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों		
को भरने के लिए अपेक्षित		
अनुभव रखने वाले उन समुदायों		
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या		
में उपलब्ध होने की संभावना		
नहीं है।		

(11)	(12)	(13)
प्रितिनेयुक्ति/आमेलन :- केंद्रीय सूचना आयोग में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित सवार-हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन की सक्षमता के निर्धारण के लिए मोटर चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो। सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्त/आमेलन ऐसे सशस्त्र कार्मिक जो एक वर्ष की अविध के अंदर सेवा निवृत्त हो रहे है या रिजर्व में अंतरित हो रहे है और विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते है, उनपर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके सशस्त्र बल से निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्त पर रखा जाएगा; तत्पश्चात् वे पुनः नियोजन पर पद पर बन रहेगें। टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनयुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. संयुक्त सचिव (प्रशा.),   केंद्रीय सूचना आयोग — अध्यक्ष  2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग - सदस्य  3. उप सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1/31/2010-आईआर (खंड-II)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

#### New Delhi, the 3rd December, 2018

- **G.S.R. 384.**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules in supercession of the Central Information Commission, Staff Car Drivers, Recruitment Rules, 2011 namely:-
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Central Information Commission, Staff Car Drivers (Special Grade), (Grade-I), (Grade-II), and (Ordinary Grade) Group 'B' and 'C' posts Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification**.—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with DOPT, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay	Whether	Age limit for direct
			Matrix	Selection	recruits
				post or non-	
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car	01* (2018)	General Central	Level – 6 in the	Non-	Not applicable.
Driver		Service, Group	Pay Matrix (Rs.	Selection.	
(Special	*subject to	'B',	35400-112400).		
Grade).	variation	Non-Gazetted,			
	dependent on	Non –			
	workload.	Ministerial.			

Educational and other	Whether age and	Period of probation,	Method of recruitment
qualifications required for	educational qualifications	if any.	whether by direct
direct recruits.	prescribed for direct		recruitment or by
	recruits will apply in the		promotion or by
	case of promotees.		deputation/ absorption and
			percentage of the vacancies
			to be filled by various
			methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment/ deputation/	If a departmental Promotion Committee	Circumstances in which Union
absorption, grades from which	exists, what is its composition.	Public Service Commission is to
promotion/ deputation /absorption to		be consulted
be made.		in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with Union Public
	<b>Committee (for considering Promotion)</b>	Service Commission is not
Staff Car Driver Grade I in Level – 5	consisting of :-	necessary.
in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	(i) Additional Secretary, Central	
with three years of regular service in	Information Commission - Chairman;	
the grade.	(ii) Joint Secretary, Central Information	
	Commission- Member;	
	(iii) Deputy Secretary, Central Information	
	Commission- Member.	
	Group 'B' Departmental Confirmation	
	Committee (for considering	
	confirmation) consisting of :-	
	(i) Additional Secretary, Central	
	Information Commission - Chairman;	
	(ii) Joint Secretary, Central Information	
	Commission- Member;	
	(iii) Deputy Secretary, Central Information	
	Commission - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car	04* (2018)	General Central	Level – 5 in the	Non-Selection	Not applicable
Driver Grade I		Service, Group	pay matrix (Rs.		
	*subject to	'C',	29200-92300)		
	variation	Non-Gazetted,			
	dependent on	Non- Ministerial			
	workload.				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.
Staff Car Driver Grade- II in Level –	(for considering Promotion) consisting of :-	
4 in the pay matrix (Rs. 25500-		
81100) with six years of regular	(i) Joint Secretary (Admn), Central Information	
service in the grade or with a	Commission - Chairman;	
combined service of fifteen years in	(ii) Joint Secretary, Central Information	
Staff Car Driver Grade- II and Staff	Commission - Member;	
Car Driver (Ordinary Grade); and	(iii) Deputy Secretary, Central Information	
have passed the trade test, specified	Commission - Member.	
by the Government.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car	04 *	General Central	Level – 4 in the	Non-Selection.	Not applicable.
Driver Grade II.	(2018)	Service, Group	pay matrix (Rs.		
	*Subject to	'C',	25500 -81100).		
	variation	Non-Gazetted,			
	dependent on	Non –			
	workload.	Ministerial.			

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion:	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee</b>	Not applicable.
Staff Car Driver (Ordinary Grade) in	(for considering promotion) consisting of :-	
Level – 2 in the pay matrix (Rs.		
19900-63200) with nine years of	(i) Joint Secretary (Admn), Central Information	
regular service in grade and have	Commission - Chairman;	
passed the trade test, specified by the	(ii) Joint Secretary, Central Information	
Government.	Commission - Member;	
	(iii) Deputy Secretary, Central Information	
	Commission - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car	04 * (2018)	General Central	Level – 2 in the	Not applicable.	Between 18 and
Driver (Ordinary	0. (2010)	Service, Group	pay matrix	r tot applicació.	25 years*
Grade).	*Subject to	'C', Non-	(Rs.19900 –		(Relaxable for
	variation	Gazetted, Non	63200).		Government
	dependent on	Ministerial.			servants upto 40
	workload.				year in
					accordance with
					the instructions or
					orders issued by
					the Central
					Government)
					Note: The crucial
					date for
					determining the
					age limit shall be
					the closing date
					for receipt of
					applications from
					candidates and
					not the closing
					date prescribed
					for those in
					Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal
					Pradesh,
					Mizoram,
					Manipur,
					Nagaland,
					Tripura, Sikkim,
					Ladakh Division
					of Jammu and
					Kashmir State,
					Lahaul and Spiti
					District and Pangi
					Sub Division of
					Chamba District
					of Himachal
					Pradesh,
					Anadaman and Nicobar Islands
					and
					Lakshadweep).
					* If the 'direct
					recruitment' is to
					be made by
					'direct open
					competitive
					compeniive

		examination', the
		age limit would
		be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable.	Two years	Deputation/absorption
(i) Possession of a valid Driving	**	for direct recruits	failing which by direct
License for motor cars;		or	recruitment.
(ii) Knowledge of motor mechanism		re-employed.	For Armed Forces
(The candidate should be able to			Personnel: deputation/ re-
remove minor-defects in vehicle);			employment.
(iii) Experience of driving a motor car			
for at least three years.; and			
(iv) Pass in 10 <sup>th</sup> standard.			
Desirable :			
Three years' service as Home			
Guard/Civil Volunteers.			
<b>Note1:</b> The qualification regarding			
experience is relaxable at the			
discretion of the competent authority.			
<b>Note 2:</b> In the case of candidates			
belonging to the Scheduled Castes or			
Scheduled Tribes if at any stage of			
selection, the competent authority is of			
the opinion that the sufficient number			
of candidates with requisite experience			
is not likely to be available to fill up			
the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Deputation/ Absorption: From the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	Not applicable.
Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Central Information Commission who possess valid Driving License for Motor Cars	(i) Joint Secretary (Admn), Central Information Commission - Chairman; (ii) Joint Secretrary, Central Information Commission - Member;	
on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials	(iii) Deputy Secretrary, Central Information Commission - Member.	
holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other		
Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).		
Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to		
retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall		
also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for		
release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.		

Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

[F.No. 1/31/2010-IR (Vol. II)] RAJBIR SINGH, Under Secy

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

- सा.का.िन. 385.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 और जहां तक उनका संबंध रोकिडिया के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता मे रोकिडिया पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, **रोकड्रिया** (समृह 'ग' पद) भर्ती नियम 2018 है।
  - (2) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.** वह व्यक्ति
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
- (ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान या वेतन	चयनित पद है या	सीधी भर्ती हेतु
			मैट्रिक्स में <i>स्तर</i>	अचयनित	आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रोकड़िया	1* (एक)(2018)	सामान्य केंद्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*(कार्यभार के	समूह 'ग',	(25,500-81,100		
	आधार पर परिवर्तन	अराजपत्रित,	रु.) में <b>स्तर-</b> 4		
	हो सकता है⊦)	अननुसचिवीय			

प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक योग्यताएं प्रोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	कोई हो	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु
में, जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है	समिति विद्यमान है, उसकी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	संरचना कैसी है	किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति :	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या		
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या स्वायत्त संगठन संस्थाओं के		
एसे अधिकारी,		
(क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण		
किए हों, या		
(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (21700-69100रु.) में		
स्तर-3 के पद पर पांच वर्षों की नियमित सेवा की हों;		
टिप्पण – 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत		
केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग		
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर		
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन		
वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण - 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम		
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी l		

[फा. सं. ए. 60011/04/2015-एमई(पीटी)-॥] प्रदीप कुमार पाल, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### (Department of Health)

New Delhi, the 29th November, 2018

**G.S.R. 385.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Cashier, except as respects things done or omitted to be done before such

supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cashier in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Cashier, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications**.—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
  - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cashier	1(one)* (2018) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non – Gazetted, Non - Ministerial.	Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation:	Not applicable	Not applicable.
Officials under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or autonomous organisations:-  (a) holding analogous posts on regular basis; or		
(b) with five years of regular service in post in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100);		
<b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
<b>Note 2</b> : The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A. 60011/04/2015-ME(Pt.)-II] PRADIP KUMAR PAL, Under Secy.

### नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 386.—राष्ट्रपति, संविधान के अन्च्छेद 309 के परंतृक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए -

- (i) अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 और जहां तक उनका संबंध केयर टेकर के पद से हैं।
- (ii) अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 1993, जहां तक उनका संबंध फार्मासिस्ट के पद से हैं:

उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, फार्मासिस्ट और केयरटेकर (समृह 'ग') भर्ती नियम 2018 है।
  - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना** .— ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान अथवा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर .— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- **4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अर्हताएं आदि .—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता .— वह व्यक्ति
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
- (ख) जिसने एक पित/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान अथवा वेतन मैट्टिक्स स्तर	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फार्मासिस्ट	(2) 5*(पांच)* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स (29,200-92,300रु.) में स्तर -5	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों के मामले में सरकारी कर्मचारियों हेतु 45 वर्ष और अनु.जाति और अनु.जाति और अनु.जाति के अभ्यार्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी

			(न कि वह अंतिम
			तारीख जो असम,
			मेघालय, अरूणाचल
			प्रदेश, मिज़ोरम,
			मणिपुर, नागालैंड,
			त्रिपुरा, सिक्किम,
			जम्मू और कश्मीर
			राज्य का लद्दाख खंड,
			हिमाचल प्रदेश के
			चम्बा जिले का
			लाहौल एवं स्पीति
			जिला तथा चंबा
			जिले के पांगी उपखंड
			और अण्डमान और
			निकोबार, द्वीप समूह
			एवं लक्षद्वीप के
			अभ्यार्थियों के लिए
			विहित की गई है।)
			टिप्पण 2 : आयु
			सीमा अवधारित
			करने के लिए
			निर्णायक तिथि वह
			अंतिम तिथि होगी
			तारीख को रोजगार
			केंद्र से नाम प्रस्तुत
			करने कहा जाता है।
l		l	

प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा अवधि, यदि	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती
अन्य अर्हताएं	निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक	, कोई हो	द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा
	योग्यताएं पदोन्नत होने वाले		अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या
	व्यक्तियों के मामले में भी		आमेलन द्वारा और विभिन्न
	लागू होंगी		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
			रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास;	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(ii) फार्मेसी में डिप्लोमा; और		टिप्पण: दो वर्ष की अवधि	टिप्पण :
(iii) किसी राज्य फार्मेसी परीषद के		में दो सप्ताह की अवधि	(क) पदाधिकारी के
, ,		का अनिवार्य प्रवेश	प्रतिनियुक्ति पर जाने या
साथ पंजीकृत हों।		प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक	लंबी बीमारी पर हटने
टिप्पण:		पूरा करना सम्मिलित	या एक या अधिक वर्ष
1. यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो उसके		होगा।	की अवधि के लिए
कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए			अध्ययन अवकाश पर
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर			जाने अथवा अन्य
अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी			परिस्थितियों के अधीन
जा सकती है।			बाहर रहने के कारण
2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित			। उत्पन्न रिक्तियों को केंद्र
जनजाति श्रेणी से संबंधि उम्मीदवारों			सरकार के अधिकारियों
के मामलें में, यदि चयन के किसी स्तर			से प्रतिनियुक्ति आधार
पर सक्षम प्राधिकारी के विकार में इन			a mangra mark

समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के पास उनके लिए		पर भरा जा सकता है;
आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए	(ख)	जो नियमित आधार पर
अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम		सदृश पद धारित हों;
प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।		और
त्राज्या वा वसा सं छूड व सामा हा	(ग)	स्तंभ (7) के अधीन
		सीधी भर्ती हेतु
		निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड द्वारा	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है,	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने
_	S.	· '
भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रति-	उसकी संरचना कैसी है	हेतु संघ लोक सेवा आयोग से
नियुक्ति/आमेलन किया जाना है		परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायी समिति (स्थायीकरण पर	लागू नहीं ।
	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित	
	है:-	
	(1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक	
	स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता -अध्यक्ष	
	(2) प्रोफेसर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-	
	कार्यात्मक चयन ग्रेड)	
	संबंधित विशेषज्ञता का विशेषज्ञ 🕒 सदस्य	
	(3) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता	
	एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. केयरटेकर	3* (तीन)* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग',	वेतन मैट्रिक्स (19,900-63,200 रु.) में स्तर -2	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों के मामले में सरकारी कर्मचारियों हेतु 45 वर्ष और अनु.जाति और अनु.जनजाति के अभ्यार्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में

		अभ्यार्थियों से आवदेन
		प्राप्त करने के लिए
		नियत की गई अंतिम
		तारीख होगी न कि वह
		अंतिम तारीख जो असम,
		मेघालय, अरूणाचल
		्र प्रदेश, मिज़ोरम,
		मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू
		और कश्मीर राज्य का
		लद्दाख खंड, हिमाचल
		प्रदेश के चम्बा जिले का
		लाहौल एवं स्पीति जिला
		तथा चंबा जिले के पांगी
		उपखंड और अण्डमान
		और निकोबार, द्वीप
		समूह एवं लक्षद्वीप के
		अभ्यार्थियों के लिए
		विहित की गई है।
		टिप्पण 2 : आयु-सीमा
		अवधारित करने के लिए
		निर्णायक तिथि वह
		अंतिम तिथि होगी जिस
		तारीख को रोजगार केंद्र
		से नाम प्रस्तुत करने के
		लिए कहा जाता है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) भवन के केयरटेकर के रूप में और	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
बहुकार्यकर्मचारिवृंद के कार्य के पर्यवेक्षण के एक वर्ष के अनुभव के साथ		टिप्पण: दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य	टिप्पण:
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास;		प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना	पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर
वांछनीय : भूतपूर्व सैनिक टिप्पण:		सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	जाने या लंबी बीमारी पर हटने या एक या अधिक वर्ष की
1. यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो उसके			अवधि के लिए अध्ययन
कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए			अवकाश पर जाने अथवा अन्य
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर			परिस्थितियों के अधीन बाहर
छूट दी जा सकती है।			रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों
2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित			को केंद्र सरकार के अधिकारियों
जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों			से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा
के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर			जा सकता है;
पर सक्षम प्राधिकारी के विचार में इन			
समुदायों से पर्याप्त संख्या में			
उम्मीदवारों के पास उनके लिए			
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए			(क) जो नियमित आधार
अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम			पर सदृश पद धारित हों;
प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से			और
संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।			

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित
योग्यताएं और अनुभव
रखते हैं।

(11)	*12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायी समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के	लागू नहीं
	लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-	
	(1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य	
	संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष;	
	(2) प्रोफेसर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन	
	ग्रेड) – सदस्य;	
	(3) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य	
	संस्थान, कोलकाता - सदस्य	

[फा. सं. ए. 60011/01/2017-एमई] प्रदीप कुमार पाल, अवर सचिव

#### New Delhi, the 29th November, 2018

- **G.S.R. 386.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of –
- (i) the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Caretaker; and
- (ii) the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1993, in so far as they relate to the post of Pharmacist;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Pharmacist and Caretaker, in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Pharmacist and Caretaker (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, level in pay matrix of pay scale.— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualifications.**—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, other Backward classes relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post Number of posts Classification Level in pay matrix or pay scale selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
scale non-selection post	direct recruits
post	
(1) $(2)$ $(3)$ $(4)$ $(5)$	(6)
1. Pharmacist. 5* (five)* General Central Level – 5 in the Not applicable.	Between 18 to 27
(2018) Services, Group pay matrix (Rs.	years (Relaxable
*(Subject to C', Non- 29,200-92,300)	for Government
variation Gazetted, Non -	servants up to
dependent on Ministerial.	forty years in the
work load).	case of general
	candidates and
	forty-five years
	in the case of candidates
	belonging to the
	Schedule Castes
	and the Schedule
	Tribes in
	accordance with
	the instructions
	or orders issued
	by the Central
	Government).
	Note I: The
	crucial date for
	determining the
	age- limit shall
	be as fixed by the Staff Selection
	Commission. The
	closing date for
	receipt of
	applications from
	candidates and
	not the closing
	date prescribed
	for those in
	Assam,
	Meghalaya,
	Arunachal
	Pradesh, Mizoram,
	Manipur,
	Nagaland,
	Tripura, Sikkim,
	Ladakh Division
	of Jammu and
	Kashimir State,

			Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other	Whether age and	Period of probation, if any	Method of recruitment
qualifications required for direct recruits	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	(9)	whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(i) Twelfth standard pass	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.
from a recognised Board; (ii) Diploma in Pharmacy; and (iii) Registered with any State Pharmacy Council.  Note:  1. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.  2. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.		Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:-  (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  (1). Additional Director, All India Institute of	Not applicable.
	Hygiene and Public Health, Kolkata - Chairman;  (2). Professor or Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) Specialist of the concerned speciality —Member;  (3). Administrative Officer, All India Institute of Hygiene Public Health, Kolkata - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Caretaker	3* (Three) (2018) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non -Ministerial	Level - 2 in the pay matrix (Rs.19,900-63,200)	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
					Note I: The crucial date for determining the agelimit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. The closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashimir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

			Note 2: The crucial date for determining the agelimit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	(8)	(9)	(10)
Twelfth standard pass from a recognised Board with one year experience as Caretaker of building and supervision of work of Multi-Tasking Staff.  Desirable: Ex-servicemen.  Note:  1. Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.  2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years.  Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment.  Note:  Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:  (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<b>Group'C' Departmental Confirmation Committee (for</b>	Not applicable.
	considering confirmation) consisting of :-	
	(1). Additional Director, All India Institute of Hygiene	
	and Public Health, Kolkata- Chairman;	
	(2). Professor or Chief Medical Officer (Non Functional	
	Selection Grade) –Member;	
	(3). Administrative Officer, All India Institute of Hygiene	
	and Public Health, Kolkata- Member.	

[F. No. A. 60011/01/2017-ME] PRADIP KUMAR PAL, Under Secy.

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

- सा. का. नि. 387.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए एवं वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्यक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय में स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' पद के भर्ती नियम, 1987 की उन बातों के अलावा जिनको ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया जा चुका है अथवा किया जाना छोड़ दिया गया, के अधिक्रमण में महामिहिम राष्ट्रपित एतद्वारा वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राईवर की भर्ती पद्धित को अधिनियमित कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:
- **1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :** (1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, कार्यालय वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, स्टाफ कार ड्राईवर (समूह 'ग' अराजपत्रित), भर्ती नियम 2018 कहा जाए ।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर : पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में उनसे सम्बद्ध स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे ।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, बर्हताएं आदि : उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धित , आयु सीमा, अर्हताएं तथा उस पद से सम्बंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट होंगी।
- 4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति
  - (अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
  - (ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवंतन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त :- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेत् चयन करने के दौरान आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।
- **6. व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड)	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा (वर्ग 'ग)' अराजपत्रित गैर- अनुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स रू.19,900- 63,200/- में स्तर - 2	लागू नहीं	18-25 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों हेतु आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)  टिप्पणी : आयु सीमा

		निर्धारण हेतु निर्णायक
		तिथि भारत में
		उम्मीदवारों से आवेदनों
		की प्राप्ति हेतु अंतिम
		तिथि होगी (एवं असम,
		मेघालय, अरूणाचल
		प्रदेश, मिजोरम,
		मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू
		एवं कशमीर राज्य का
		लद्धाख प्रभाग,
		हिमाचल प्रदेश के
		लाहौल एवं स्पिति
		जिले तथा चम्बा जिले
		का पंगी उपप्रभाग,
		अण्डमान एवं निकोबार
		द्धीप-समूह या लक्ष्यद्धीप हेतु निर्धारित
		अंतिम तिथि नहीं) ।
		जातनाताय गहा।
		*यदि सीधी भर्ती
		"प्रत्यक्ष खुली
		प्रतियोगिता परीक्षा" के
		द्वारा की जाती है तब
		आयु सीमा 18 से 27
		वर्ष होगी ।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ संभरण द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक  (i) मोटरकार का वैध ड्राईविंग लाईसेंस धारक होना चाहिए।  (ii) मोटर मैकेनिजम की जानकारी होनी चाहिए (उम्मीदवार को वाहन के छोटी-मोटी खराबियों को दूर करना आना चाहिए)  (iii) कम से कम तीन वर्ष का मोटरकार चलाने का अनुभव होना चाहिए  (iv) 10 वीं पास होना चाहिए।  वांछनीय  (1) होमगार्ड/सिविल वॉलंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा।  टिप्पणी 1: अनुभव सम्बंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है।	लागू नहीं ।	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियुक्तकों हेतु दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति/संभरण जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा । सुरक्षा बल के कार्मिकों के लिये : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति ।

टिप्पणी 2 : सक्षम प्राधिकारी के		
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा		
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की		
दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन		
के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह		
राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को		
भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले		
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या		
में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/संभरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/संभरण	पुष्टिकरण मामलों पर विचार हेतु	लागू नहीं ।
वाणिज्यक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-। में मोटरकार चलाने का वैध लाईसेंस धारक नियमित डिस्पैच राईडर (समूह -ग) और समूह -ग कर्मचारियों में से मोटरकार चलाने की दक्षता का निर्धारण करने हेतु एक ड्राईविंग परीक्षण के आधार पर इसके न हो पाने पर केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों के कॉलम -7 में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में नियमित डिस्पैच राईडर (समूह -ग) पदधारकों और नियमित समूह -ग कर्मचारियों में से।  सुरक्षा बल के कार्मिकों हेतु प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति: सेवानिवृत्ति के करीब अथवा एक वर्ष की अवधि के अंदर स्थानांरतण के लिये आरक्षित एवं निर्धारित अनुभव तथा विनिर्दिष्ट अर्हताओं को पूरा करने वाले सुरक्षा बलों के कार्मिकों पर भी विचार किया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा बलों से कार्य मुक्ति की तारीख तक प्रतिनियुक्ति प्रदान की जायेगी; तत्पश्चात वे पुनर्नियुक्ति पर बने रहेंगे।  टिप्पणी: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य किसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति पर बने रहेंगे।  टिप्पणी: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य किसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से : अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के यथानुरूप प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।	समूह -ग विभागीय पुष्टि समिति ।  1. महानिदेशक/विभागाध्यक्ष,  वा.जा.सां.म.नि अध्यक्ष ।  2. निदेशक/संयुक्त निदेशक,  वा.जा.सां.म.नि सदस्य ।  3. उप निदेशक (प्रशासन)  वा.जा.सां.म.नि सदस्य ।  4. किसी बाह्य कार्यालय के एक समुचित प्रस्थिति के अधिकारी - बाह्य सदस्य ।	

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

#### (Department of Commerce)

New Delhi, the 27th November, 2018

- G.S.R. 387.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta) Staff Car Driver Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1)These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Staff Car Driver (Group 'C' Non- Gazetted post) Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.**—The number of post, its classification, and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons while selecting an officer for appointment on deputation.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	No. of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver	1 *	General Central	Level – 2 in the	Not applicable	Between 18 and 25
(ordinary grade)	(2018)	Service (Group	pay matrix Rs.		years

*Subject to	'C') Non-	19,900-63,200/-	(Relaxable for Govt.
variation	gazetted, Non-		Servants upto 40
dependent on	Ministerial		years in accordance
workload.			with the instructions
			or Orders issued by
			the Central
			Government)
			Note: The crucial
			date for determining
			the age limit shall be
			the closing date for
			receipt of
			applications from
			candidates in India
			(and not the closing
			date prescribed for
			those in Assam,
			Meghalaya,
			Arunachal Pradesh,
			Mizoram, Manipur,
			Nagaland, Tripura,
			Sikkim, Ladakh
			Division of J&K
			State, Lahaul & Spiti
			District and Pangi
			Sub Division of
			Chamba District of
			Himachal Pradesh,
			Andaman and
			Nicobar Islands,
			Lakshadweep).
			*If direct recruitment
			is to be made by
			"direct open
			competitive
			Examination", the
			age limit would 18-
			27 years.
			2. jeuis.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential  (i) Possession of a valid driving license for motor car;  (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate	Not Applicable	Two years for direct recruits or reemployed	Deputation/ Absorption failing which by direct recruitment.  For Armed Forces personnel:
should be able to remove minor defects in vehicle),			Deputation/ re-employment
(iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years;			
(iv) Pass in 10 <sup>th</sup> standard.			
Desirable			
(1) 3 years service as Home Guard /Civil volunteers.			
Note 1:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.			
Note 2:-In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by Promotion	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances in which the
/Deputation/Absorption, grades from	exists what is its composition	Union Public Service
which Promotion/	_	Commission is to be consulted
Deputation/Absorption to be made		to making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption	Group C Departmental Confirmation	Not Applicable
From amongst the regular Dispatch	Committee for considering confirmation	
Rider (Group C) and Group C	cases	
employees in Level 1 of pay Matrix	1. Director General/ Head of the	
in the Directorate General of	Department, DGCI&S - Chairman	
Commercial Intelligence & Statistics	2. Director/Joint Director, DGCI&S –	
who possess valid Driving Licence	Member	
for Motor Cars on the basis of a	3. Deputy Director (Administration),	
Driving test to assess the competence	DGCI&S - Member.	
to drive Motor cars failing which	4. An Officer of appropriate status of	
from officials holding the post of	any other office – Outside Member	
Dispatch Rider on regular basis or		
regular Group C employees in Level		
1 of pay Matrix in other Ministries of		
the Central Government who fulfill		
the necessary qualifications as		
mentioned in column 7.		
Deputation/re-employment for		
Armed Forces Personnel:		
The Armed Forces Personnel due to		
retire or who are to be transferred to		
reserve within a period of one year		
and having the requisite experience		
and qualifications prescribed shall		
also be considered. Such persons		
would be given deputation terms upto		
the date on which they are due for		
release from the Armed Forces;		
thereafter they may be continued on		
re-employment.		
Note: The period of deputation		
including the period of deputation in		
another ex-cadre post held		
immediately preceding this		
appointment in the same or some		
other organization/Department of the		
Central Government shall ordinarily		
not exceed three years. The maximum		
age limit for appointment by		
deputation/ absorption shall be 'Not		
exceeding 56 years' as on the closing		
date of receipt of applications.		

[F. No. 5 (1)/2012/Estt.-I] SUBHAJIT ROY, Jt. Director/ Head of Office

### जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

- सा.का.िन. 388.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धित को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **5**. **निरर्हता** वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **6.** शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची पद की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्किस में सीधे भर्ती किए पद का नाम चयन या अचयन जाने वाले व्यक्तियों स्तर पद के लिए आयु-सीमा (2)(6)(1) (3) (4) (5) केन्द्रीय लागु नहीं होता। साधारण वेतन मैटिक्स अचयन स्टाफ कार 2\* (29200 /- रुपए) सेवा, समूह ड़ाइवर श्रेणी-। में स्तर-5 अराजपत्रित. (2018)अनन्सचिवीय

* कार्यभार के		
आधार पर परिवर्तन		
किया जा सकता है।		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	उत्तम त्रिमा	लाक तथा आयाच त वरावस किया आर्या
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर, श्रेणी-2	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमे	लागू नहीं होता।
जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर	निम्नलिखित होंगे:-	
आधारित व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया		
हो-	1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री	
(क) अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ने की	अनुसंधानशाला- अध्यक्ष	
समर्थता ;		
(ख) यातायात विनियमों का ज्ञान;	2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री	
(ग) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण	अनुसंधानशाला – सदस्य	
का ज्ञान और छुट-पुट खराबियों का पता		
लगाने और दैनिक कमियों को ठीक करने	3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास	
की समर्थता ;	और गंगा संरक्षण मंत्रालय – सदस्य	
(घ) कार्बुरेटर, प्लग आदि को साफ करने		
की समर्थता		
	I .	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II	2* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500 /- रुपए) में स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमे	लागू नहीं होता।
श्रेणी) जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो और निम्नलिखित	निम्नलिखित होंगे:-	
पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षण		
उत्तीर्ण कर लिया हो-	1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री	
(क) अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ने की	अनुसंधानशाला- अध्यक्ष	
समर्थता ;		
(ख) यातायात विनियमों का ज्ञान;	2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री	
(ग) खराबियों का पता लगाने और छुट-पुट	अनुसंधानशाला – सदस्य	
दैनिक कमियों को ठीक करने की समर्थता ;		
(घ) पहियों को बदलने और टायरों में ठीक	3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और	
हवा भरने की समर्थता	गंगा संरक्षण मंत्रालय –सदस्य	

		लद्दाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के
		लाहौल और स्पीति
		जिले और चम्बा-
		जिले के पांगी
		उपखंड, अंडमान
		और निकोबार द्वीप
		या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है।)
		<b>टिप्पणः</b> - रोजगार
		कार्यालय के माध्यम
		से आने वाले
		अभ्यर्थियों की दशा
		में आयु सीमा
		अवधारित करने के
		लिए निर्णायक
		तारीख वह अंतिम
		तारीख होगी जिस
		तक रोजगार
		कार्यालय से नाम
		भेजने के लिए कहा
		गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक-	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से			हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;			भूतपूर्व सैनिकों के लिए:
(ii) मोटर कार  चलाने के लिए			प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन
विधिमान्य अनुज्ञप्ति;			
(iii) मोटर यंत्र का ज्ञान;			
(iv) यान की छुट-पुट कमियों			
को दूर करने की समर्थता और			
(v) मोटर कार चलाने का तीन			
वर्ष का अनुभव हो ।			
<b>टिप्पण 1</b> . अर्हताएं अन्यथा			
सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			
उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध			
किए जाए केंद्रीय सरकार के			
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			
ि <b>टिप्पण 2.</b> अनुभव संबंधी			
अर्हताएं उनके लिए जो कारण			
है उसे लेखबद्ध करके, केंद्रीय			
-			
सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या			
अनुसूचित जन जातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में तथा			

शिथिल की जा सकती है जब		
चयन की किसी प्रक्रम पर		
केंद्रीय सरकार की यह राय है		
कि उनके लिए आरक्षित		
रिक्तियों को भरने के लिए		
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन		
समुदायों के अभ्यर्थियों के		
प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने		
की संभावना नहीं है।		
वांछनीय- होमगार्ड के रूप में		
तीन वर्ष की सेवा की हो ।		

1	
(11) (12)	
प्रतिनियुक्ति/आमेलतः केंद्रीय मुदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के ऐसे नियमित प्रयोगशाला मदयार और बहुकार्यं कर्मचारीगढ़ जिनके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए ली गई चालन परिक्षण के आधार पर चालन अनुज्ञप्ति है जिनके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे नियमित सवार हरकारा या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखते हों भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्तिश्र पृतिनियों जतः सशस्य बल के ऐसे कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्तिश्र के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि की भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हों या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हों और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हों ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्य बल से निर्मृक्त किया जाना है तत्रश्चात उन्हें पुनर्नियोंजन पर वर्ष ने दित अर्हताएं हों ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्य वल से निर्मृक्त किया जाना है तरश्चात उन्हें पुनर्नियोंजन पर वर्ष ने दिया जा सकता है।  टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर वाह्य पर पर प्रतिनयुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने ही होंगी।	

[फा.सं. ए-12018/1/2018-स्था-II] रत्नाकर यादव, अवर सचिव

### MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 28th November, 2018

- **G.S.R. 388.**—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Ministry of Water Resources, the Central Soil and Materials Research Station, Staff Car Drivers, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, namely:-
  - 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, Staff Car Drivers, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
  - 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
  - 3. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
  - **4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment to said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
  - 5. Disqualification.— No person, -
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of	Number of	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or	Age limit for direct
post	post			non-selection post	recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car	2* (2018)	General	Level 5	Non- selection	Not applicable
Driver	*Subject to	Central	(Rs. 29200/-) in the		
Grade- I	variation	Service,	pay matrix		
	dependent	Group 'C',			
	on	Non-			
	workload.	Gazetted,			
		Non-			
		Ministerial.			

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption,
recruitment or by promotion or by	grades from which promotion or deputation/absorption is to be
deputation/absorption and percentage of the	made
vacancies to be filled by various methods	
(10)	(11)
Promotion	Promotion:
	Staff Car Driver Grade- II with five years regular service in the grade who shall have to pass the Trade Test based on the following syllabus:-
	(a) able to read English numerals and figures;
	(b) knowledge of traffic regulation;
	(c) knowledge of petrol and diesel engine working and able to locate faults and rectify minor running defects;
	(d) able to clear carburetor, plug, etc.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service
	Commission is to be consulted in making
	recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station, New	
Delhi — Chairman;	
2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station, New	
Delhi — Member;	
3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development	
& Ganga Rejuvenation — Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
2. Staff Car	2* (2018)	General Central	Level 4		Non- selection	Not applicable.
Driver	*Subject to	Service, Group	(Rs.25500/-) in	the		
Grade- II.	variation	'C', Non-	pay matrix.			
	dependent on	Gazetted, Non-				
	workload.	Ministerial.				

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	<b>Promotion:</b> Staff Car Driver (Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade who shall have to pass the Trade Test based on the following syllabus:-

(a)	able to read English numerals and figures;
(b)	knowledge of traffic regulation;
(c)	able to locate faults and rectify minor running defects;
(d)	able to change wheels and correctly inflate tyres.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
<ol> <li>Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Chairman;</li> <li>Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi — Member;</li> <li>Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development &amp; Ganga Rejuvenation — Member.</li> </ol>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car	3* (2018)	General	Level 2	Not applicable	Between 18 to 27
Driver	*Subject to	Central	(Rs. 19900/-) in the	Not applicable	years
(Ordinary	variation	Service, Group	pay matrix.		years
Grade).	dependent on	'C', Non-	puy muurx.		(Relaxable for
Grade).	workload.	Gazetted, Non-			Government
	Workioud.	Ministerial.			servants upto the
		1viiiisteriai.			age of forty years
					in the case of
					general candidates
					and up to forty
					five-years in the
					case of candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes
					or the Scheduled
					Tribes in
					accordance with
					the instruction or
					orders issued by
					the Central
					Government, from
					time to time).
					Note1. The crucial
					date for
					determining the
					age limit shall be
					the closing date
					for receipt of
					applications from
					candidates in India
					(and not the
					closing date
					prescribed for
					those in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal
					Pradesh, Mizoram,
					Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh
					division of Jammu

		& Kashmir State,
		Lahaul and Spiti
		Districts and Pangi
		Sub-division of
		Chamba District of
		Himachal Pradesh,
		Andaman and
		Nicobar Islands or
		Lakshadweep).
		Note 2. In the
		case of recruitment
		made through the
		Employment
		Exchange, the
		crucial date for
		determining the
		age limit shall be
		the last date up to
		which the
		Employment
		Exchange is asked
		to submit the
		names.

(7)	(8)	(9)
Essential:	Not applicable	Two years
(i) Matriculation from a recognised Board or		
equivalent;		
(ii) driving license for Motor Car;		
(iii) knowledge of Motor Mechanism;		
(iv) able to remove minor-defects in vehicle;		
and		
(vi) three years experience of driving a Motor		
Car.		
Note 1: Qualifications are relaxable at the		
discretion of the Central Government, for		
reason to be recorded in writing, in case the		
candidates otherwise well qualified.		
<b>Note 2:</b> The qualification regarding experience		
is relaxable at the discretion of the Central		
Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the		
Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at		
any stage of selection, the Central Government		
is of the opinion that sufficient number of		
candidates from these communities possessing		
the requisite experience are not likely to be		
available to fill up the vacancy reserved for		
them.		
Desirable:		
Three years' service as Home Guard.		

(10)	(11)
	Deputation/absorption:  Regular Laboratory Helper and Multi-Tasking Staff in the Central Soil and Materials Research Station who possess Driving License for Motor Car on the basis of a Driving Test to assess the

#### For Ex-servicemen

Deputation/re-employment.

competence to drive Motor Cars failing which from Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in other Ministries of the Central Government possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

#### For Ex-servicemen:

### **Deputation/re-employment:**

The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces, and thereafter they may be continued on re-employment.

**Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station, New	
Delhi — Chairman;	
2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station, New	
Delhi — Member;	
3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development	
& Ganga Rejuvenation — Member.	

[F. No. A-12018/1/2018- E-II] RATNAKAR YADAV, Under Secy.

#### नई दिल्ली. 28 नवम्बर . 2018

सा.का.िन. 389.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, ड्रिलर और सहायक ड्रिलर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में ड्रिलर और सहायक ड्रिलर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, ड्रिलर और सहायक ड्रिलर (समृह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

- **3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **6.** शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या अचयन	सीधे भर्ती किए
			स्तर	पद	जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)		1 1	(5)	(6)
1. ड्रिलर	4*	साधारण केन्द्रीय	स्तर-5	चयन	18 और 27 वर्ष के बीच
	(2018)	सेवा, समूह "ग",	(29200-92300		
	*कार्यभार के आधार	अराजपत्रित,	₹.)		(ऊपरी आयु-सीमा
	पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			केन्द्रीय सरकार
	जा सकता है।	-			द्वारा समय समय
					पर जारी किए गए
					अनुदेशों या आदेशों
					के अनुसार
					विभागीय
					अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल
					की जा सकती है।)
					-
					टिप्पण:1 आयु-
					सीमा अवधारित
					करने के लिए
					निर्णायक तारीख
					भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत
					करन के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी। (न
					कि वह अंतिम
					तारीख जो असम,
					मेघालय,
					अरूणाचल प्रदेश,

		2
		मिजोरम, मणिपुर,
		नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, जम्मू-
		कश्मीर राज्य के
		लद्दाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के
		लाहौल और स्पीति
		जिले तथा चम्बा-
		जिले के पांगी
		उपखंड, अंडमान
		और निकोबार द्वीप
		या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है।)
		<b>टिपप्ण:</b> 2 रोजगार
		कार्यालय के माध्यम
		से आने वाले
		अभ्यर्थियों की दशा
		में आयुसीमा
		अवधारित करने के
		लिए निर्णायक
		तारीख वह अंतिम
		तारीख होगी जिस
		तक रोजगार
		कार्यालय से नाम
		भेजने के लिए कहा
		गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक  (i). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित मैट्रिकुलेशन और जिसमें गणित एक विषय के रूप में हो  (ii). फिटर या मोटर मैकेनिक या मशीन मिस्त्री या डीजल मैकेनिक की ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(iii). विभिन्न प्रकार के		
्रें ड्रिल मशीनों पर		
ड्रिल कार्य करने का		
तीन वर्ष का अनुभव		
(iv). हीरक बेधक उपस्कर		
के प्रचालन में		
सामर्थ्य और		
(v). इंजन, पंप और ड्रिल		
मशीन के प्रेषण		
भागों की छोटी-		
छोटी मरम्मत करने		
में समर्थ हो		
टिप्पण1: अर्हताएं अन्यथा		
सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा		
में केंद्रीय सरकार के		
विवेकानुसार शिथिल की जा		
सकती हैं		
<b>टिप्पण2:</b> अनुभव संबंधी		
अर्हताएं केंद्रीय सरकार के		
्र विवेकानुसार अनुसूचित		
जातियों या अनुसूचित जन		
जातियों के अभ्याथियों की		
दशा में तब शिथिल की जा		
सकती है जब चयन के किसी		
प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की		
सहराय है कि उनके लिए		
आरक्षित रिक्तियों को भरने के		
लिए अपेक्षित अनुभव रखने		
वाले उन समुदायों के		
अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में		
उपलब्ध होने की संभावना		
नहीं है ।		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति	ू संरचना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	VI V 4 · III	किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ऐसा सहायक ड्रिलर जिसने	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और	लागू नहीं होता।
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	
श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।	" निम्नलिखित होंगे :-	
टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के	· ·	
संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री	
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए	अनुसंधानशाला - अध्यक्ष	
विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ	2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री	
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	अनुसंधानशाला – सदस्य	
जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा	3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और	
की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	   गंगा संरक्षण मंत्रालय —सदस्य	
अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से	1111 (1741) 1111(14	
अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी		
कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे		

कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली	
है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए	
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक	
पूरी कर ली है ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	4*	साधारण	स्तर-4	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच
सहायक	(2018)	केन्द्रीय सेवा,	(25500-81100		(ऊपरी आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय
ड्रिलर	*कार्यभार	समूह "ग",	₹.)		समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के
	के आधार	अराजपत्रित,			अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक
	पर	अननुसचिवीय			शिथिल की जा सकती है।)
	परिवर्तन				टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
	किया जा				निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन
	सकता है।				प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख
					होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति
					जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान
					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
					लिए विहित की गई है।)
					टिपप्ण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने
					वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित
					करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख
					होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के
1	1				लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(i). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित मैट्रिकुलेशन और जिसमें गणित एक विषय के रूप में हो			
(ii). फिटर या मोटर मैकेनिक या मशीन मिस्त्री या डीजल मैकेनिक की ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र			
वांछनीय: (i). विभिन्न प्रकार के ड्रिल मशीनों पर ड्रिल कार्य करने का तीन			

वर्ष का अनुभव और		
हीरक बेधन उपस्कर		
के प्रचालन में सामर्थ्य		
हो और		
(ii). इंजन, पंप और ड्रिल		
मशीन के प्रेषण भागों		
की छोटी-छोटी		
मरम्मत करने में		
समर्थ हो		
<b>टिप्पण 1</b> : अर्हताएं अन्यथा		
सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में		
केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार		
शिथिल की जा सकती है		
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी		
अर्हताएं केंद्रीय सरकार के		
विवेकानुसार अनुसूचित		
जातियों या अनुसूचित जन		
जातियों के अभ्याथियों की दशा		
में तब शिथिल की जा सकती है		
जब चयन के किसी प्रक्रम पर		
केंद्रीय सरकार की यह राय है		
कि उनके लिए आरक्षित		
रिक्तियों को भरने के लिए		
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन		
समुदायों के अभ्यार्थियों के		
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने		
की संभावना नहीं है ।		

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के	लागू नहीं होता।
	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
	1. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला - अध्यक्ष	
	2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 🕒 सदस्य	
	3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा	
	संरक्षण मंत्रालय –सदस्य	

[फा.सं. ए-12018/3/2018- स्था.- II]

रत्नाकर यादव, अवर सचिव

# New Delhi, the 28th November, 2018

- **G.S.R.** 389.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Soil and Materials Research Station Driller and Assistant Driller Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driller and Assistant Driller in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, namely:—
- **1. Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Soil and Materials Research Station, New Delhi, Driller and Assistant Driller (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2018.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- **2. Application.** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **5. Disqualification.** No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Driller.	4*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-5 (Rs.29200—92300)	Selection	Between 18 and 27 years.  (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  Note 1: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-

		division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territory of Andaman and Nicobar Islands or union territory of Lakshadweep.
		Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the agelimit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Matriculation with Science and Mathematics as one of the subjects from a recognised Board;	No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by recruitment direct
(ii) Industrial Training Institute certificate in the trades of Fitter or Motor Mechanic or Machinist or Diesel Mechanic;			
(iii) Three years experience in drilling work with different types of drill Machines;			
(iv) ability to operate diamond drilling equipment; and			
(v) ability for minor repairs of engine, pump and transmission side of the drilling machine.			
<b>Note 1</b> : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances in which
deputation/absorption, grades from which	exits, what is its composition	Union Public Service
promotion or deputation/absorption is to be		Commission to be consulted
made		in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Assistant Driller with five years of regular	Committee (for considering promotion	
service in the grade rendered after	and confirmation) consisting of:-	
appointment thereto on a regular basis.		
	1. Scientist 'D', Central Soil and	
<b>Note</b> : Where juniors who have completed	Materials Research Station – Chairman;	
their qualifying or eligibility service are		
being considered for promotion, their	2. Under Secretary, Central Soil and	
seniors would also be considered provided	Materials Research Station – Member;	
they are not short of the requisite		
qualifying or eligibility service by more	3. Under Secretary, Ministry of Water	
than half of such qualifying or eligibility	Resources, River Development and	
service or two years, whichever is less, and	Ganga Rejuvenation - Member.	
have successfully completed their		
probation period for promotion to the next		
higher grade along with their juniors who		
have already completed such qualifying or		
eligibility service.		

		Exchange, the crucial
		date for determining the
		age-limit shall be the last
		date up to which the
		Employment Exchange is
		asked to submit the
		names.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential:	Not applicable	Two Years	By direxct recruitment	Not applicable
(ii) Matriculation with Science and Mathematics as one of the subjects from a recognised Board;				
(iii) Industrial Training Institute certificate in the trades of Fitter of Motor Mechanic or Mechanist or Diesel Mechanic.				
Desirable:  (iv) Three years experience in drilling work with different types of drill machine and should be able to operate diamond drilling equipment; and  (ii) to attend minor repairs of engine, pump and transmission side of the drilling machine.				
<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates otherwise well qualified.				
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to the available to fill up the posts reserved for them.				

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering	Not applicable.
confirmation) consisting of:—	
1. Scientist 'D', Central Soil and Materials Research Station – Chairman;	
2. Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station – Member;	
3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River	
Development and Ganga Rejuvenation — Member.	

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, .2018

सा.का.नि. 390.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान निजी सचिव, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन भैट्रिक्स में स्तर**. पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता**. वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित जीवित है, विवाह किया है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां व उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

			<u>α</u>		
पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए
			स्तर	अचयन पद	जाने वाले
					व्यक्तियों के लिए
					आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान निजी सचिव	10*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(2018)	सेवा, समूह 'क'	स्तर—11,		
	* प्रादेशिक	राजपत्रित,	रु.67,700−		
	कार्यालयों में	अनुसचिवीय	2,08,700 /		
	अवस्थित कार्यभार				
	के आधार पर				
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है :-				
	बैंगलौर—01;				
	भुवनेश्वर—01;				
	भोपाल –01;				
	चंडीगढ़–01;				
	चेन्नई <i>-</i> 01;				
	देहरादून –01;				
	लखनऊ—01;				
	नागपुर –01;				
	रांची -01;				
	शिलांग—01.				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों और शै8ि	के लिए विहित आयु भेक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू	परिवीक्षा की अवधि, हो	यदि कोई	भर्ती की पद्धति —सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)		(8)	(9)		(10)
लागू नहीं होता	ल	ागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के वर्ष	लिए दो	सिम्मश्र पद्धति द्वाराः प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प—कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति
प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या द्वारा भर्ती की स्थिति में वह ग्रे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या किया जाना है	ड जिससे	यदि विभागीय प्रोन्न तो उसका संघटन	ति समिति गठित है		तियां जिनमें भर्ती करने के लिए सेवा आयोग से परामर्श किया
(11) सम्मिश्र पद्धतिः प्रतिनियुक्ति			2) 1िय पुष्टि समिति		(13) सेवा आयोग से परामर्श करना
अन्तर्गत अल्प-कालिक संविद्य और प्रोन्नित केंद्रीय सरकार अथवा राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा मान् अनुसंधान संस्थान अथवा विश् अथवा पब्लिक सेक्टरों अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी स्वायत्त संगठन के अंतर्गत अधि (i) जो मूल काडर अथवा विनयमित आधार पर सदृश प किए हो, अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विसमकक्ष में वेतन मैट्रिक्स में स्व 47600—151100/—, में छः वर्ष सेवा की हो, अथवा	सरकार यता प्राप्त विद्यालय अथवा अथवा कारीः विभाग में द धारण वेभाग या तर—8, रु	निम्नलिखित सम्मि 1. अपर वन महानि पर्यावरण, वन और मंत्रालय, नई दिल्ली 2. अपर प्रधान मुख्य संबंधित क्षेत्रीय सदस्य; 3. निदेशक या कार्यालय (मुख्यालय)	देशक (वन संरक्षण), जलवायु परिवर्तन — अध्यक्षः, वन संरक्षक (केंद्रीय) कार्यालय — उपसचिव, क्षेत्रीय ,	आवश्यक	क्षे
समकक्ष में वेतन मैट्रिक्स में स्व 44900—142400 / —, में स नियमित सेवा की हो, अथवा िटप्पण—1. — संबंधित क्षेत्रीय में सात वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-44900—142400 / —, में विभाग सचिव का पद धारण करने वाले बाहरी लोगों हेतु विचार किया और यदि पद के लिए उसका है, वह प्रोन्नित द्वारा नियुव जाएगा। टिप्पण—2. पोषक प्रवर्ग विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित पंक्त में हैं, प्रतिनियुक्ति पर निलए विचार किए जाने के होंगे। इसी प्रकार में प्रतिनियुकार्यरत व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा निवार किए जाने का होंग। इसी प्रकार में प्रतिनियुकार्यरत व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा निलए विचार किए जाने का होंगा।	त वर्ष कार्यालय के साथ -7, रु. ोय निजी ा के साथ ा जाएगा, ायन होता स्त माना के ऐसे की सीधी गुक्ति के				

टिप्पण-3. — प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अविध, केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) की अविध सिहत साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण-4. प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 6—12 / 2014—आरओएचक्यू] राजीव जौहरी. अवर सचिव

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 30th November, 2018

**G.S.R. 390.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely: -

- Short-title and commencement. (1) These rules may be called the Regional Offices of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Principal Private Secretary, Group 'A' post Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backwards Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or	Age limit for direct recruits
				non-selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Principal Private Secretary.	10* (2018) *Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at- *Bangalore-01; *Bhubaneswar-01; *Bhopal-01; *Chandigarh-01; *Chennai-01; *Lucknow-01; *Nagpur-01; *Ranchi-01; *Shillong-01.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11, Rs. 67,700-2,08,700/	Not applicable	Not applicable

Educational and other	Whether age and	Period of probation, if any	Method of recruitment,
qualifications required for	educational qualifications		whether by direct
direct recruits	prescribed for direct		recruitment or by
	recruits will apply in case		promotion or by deputation
	of promotees		or absorption and
			percentage of vacancies to
			be filled by various
			methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotes	By composite method
			[Deputation (including
			short-term contract) plus
			promotion]

In case of recruitment by promotion	If Departmental Promotion	Circumstances in which Union Public	
or deputation or absorption, grades	Committee exists, what is its	Service Commission to be consulted	
from which promotion or deputation	composition	in making recruitment.	
or absorption to be made	•		
(11)	(12)	(13)	
Composite method [Deputation	Group 'A' Departmental	Consultation with Union Public	
(including short-term contract)	Confirmation Committee (for	Service Commission necessary.	
plus promotion]:	considering confirmation)		
	consisting of: -		
Officers holding the post of			
Stenographer under the Central	<ol> <li>Additional Director General of</li> </ol>		
Government or State Governments or	Forests (Forest Conservation),		
Union territories or Public Sector	Ministry of Environment, Forest		
Undertakings or Recognised Research	and Climate Change, New Delhi-		
Institutions or Universities or	Chairman;		
Statutory or Autonomous	2. Additional Principal Chief		
Organisations, -	Conservator of Forests (Central)		
	of		
(i) holding analogous posts on regular	concerned Regional Office-		
basis in the parent cadre or	Member;		

Department;	or
-------------	----

- (ii) with six years regular service in level-8, Rs. 47600-151100/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or
- (iii) with seven years regular service in level-7, Rs. 44900-142400/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department.
- Note 1. The Departmental Private Secretary in level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900/- 1,42,400/-) in the concerned Regional Office with seven years regular service shall be considered along-with outsiders and if the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.
- Note 2. The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 3. Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre held post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government ordinarily not exceed four years.
- **Note 4.** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

3. Director or Deputy Secretary,
Regional Office (Head
Quarters),
Ministry of Environment, Forest
and Climate Change,
New Delhi - Member.

[ F. No. 6-12/2014-ROHQ] RAJEEV JAUHARI, Under Secy.